भारत का विधि आयोग

उपेक्षित महिलाओं, संतान और माता-पिता की पीड़ा में सुधार और कष्ट को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के उपबंधों के संशोधन की आवश्यकता

पर

एक सौ बत्तीसवीं रिपोर्ट

1989

एम० पी० ठक्कर,
अध्यक्ष

सं० 6(3)(7), 88-वि०आ० (एल०एस०),
विधि आयोग,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
अप्रैल 19, 1989

सेवा में,
श्री बी० शंकरानन्द,
विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

प्रिय मंत्री जी,

आयोग अपनी एक सौ बत्तीसवीं रिपोर्ट इसके साथ भेज रहा है जिसका शीर्षक है :—

"उपेक्षित महिला, संतान और माता-पिता की पीड़ा में सुधार और कष्ट को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के उपबन्धों का संशोधन करने की आवश्यकता "

रिपोट का विषय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन भरणपोषण का दावा करने के लिए उपेक्षित महिला, संतान और माता-पिता के कल्याण और विधिसम्मत आर्थिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज की वास्तविक और गंभीर चिंता को प्रतिबिंबित करता है। आयोग ने यह प्रयोग स्वप्रेरणा से यह महसूस करते हुए किया है कि अपना भरणपोषण करने में असमर्थ असुविधाग्रस्त पत्नी, असहाय संतान और वृद्ध माता-पिता को कष्ट से राहत देने के लिए परिकल्पित कुछ उपबन्ध कुछ पहलुओं में पुराने हो चुके हैं और उनमें परिवर्तित समय के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह भी महसूस किया गया है कि कुछ उपबन्धों से ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में, जिन्हें भरणपोषण भत्ते की आवश्यकता है अपूर्वदृष्ट और अनाशयित बाधाएं उत्पन्न हुई हैं ।

आयोग का दृष्टिकोण यह रहा है कि रोग का निदान किया जाए और उसके लिए उचित उपचार किया जाए। इसलिए आयोग ने सम्बद्ध उपबन्धों का बारीकी से परीक्षण किया है और उन कमियों और अपर्याप्तताओं की पहचान की है जो उन उपबन्धों के कार्यकरण के अनुक्रम में प्रकट हुई हैं। समस्याओं की पहचान कर लेने पर आयोग इस दृष्टि से उपयुक्त समाधानों की सिफारिश करने के लिए अग्रसर हुआ की सुसंगत उपबन्ध अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। आयोग का प्रयास बाधाओं को हटाना, शीघ्र प्रक्रिया बनाना और उपबन्धों की स्कीम को इस प्रकार अधिक सुन्दर बनाना रहा है कि वे अधिक न्यायसंगत हों ।

रिपोर्ट समाप्त करते समय यह आशा करते हुए आयोग का विश्वास है कि उपेक्षित महिलाओं, संतान और माता-पिता की पीड़ा और कष्ट में बहुत सीमा तक सुधार हो जाएगा और वे राहत की सांस लेंगे यदि और जब ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं और उन्हें कार्यरूप दिया जाता है।

अभिवादन सहित,

भवदीय,
ह०/-
(एम० पी० ठक्कर)

संलग्नक : 132वीं रिपोर्ट

विषय-सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	आयोग द्वारा निकाली गई प्रश्नावली और प्राप्त हुए प्रश्नावली के उत्तर	2
अध्याय 3	दंड प्रक्रिया संहिता के वर्तमान अध्याय 9 में कमियों और विषमताओं की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपायों पर विचार	4
अध्याय 4	भरणपोषण का दावा करने के लिए किसी कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए प्रक्रिया में सुधार करना	18
अध्याय 5	निष्कर्ष और सिफारिशें	20
टिप्पण और संदर्भ	. . . . .	23
उपाबन्ध 1	1981 से 1987 तक की अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत भरणपोषण की रकम दर्शाने वाला जैसा दंड विधि जर्नल में रिपोर्ट किया गया है . .	24
उपाबन्ध 2	उत्तरदाताओं की सूची	26
उपाबन्ध 3	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 9 . .	29

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1. **पार्श्विक चित्र :** यह रिपोर्ट उस पत्नी द्वारा जिसके साथ अन्याय किया गया है (पति से), उपेक्षित संतान द्वारा (अपने पिता से) और असहाय माता-पिता द्वारा (अपनी संतान से) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 [1] के अधीन भरणपोषण के लिए उचित मासिक भत्ता वसूल करने में सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने पर केन्द्रित है।

1.2. **प्रयोग का प्रकार और कारण :** समुदाय की यह सुनिश्चित करने की चिन्ता उपबन्ध (वर्तमान दशा में, जो महिलाओं, संतान और माता-पिता के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रवर्तित होगा) के बनाने तक ही समाप्त नहीं हो जाती है। इसका विस्तार विधायन के कार्यकरण को, इसे अधिक प्रभावी और प्रभावकारी बनाने के लिए उस पर दृष्टि रखते हुए मानीटर करने तक है। कार्यकरण के अनुभव से प्राप्त परिणाम का उपयोग :—

(1) त्रुटियों और कमियों को दूर करने,

(2) दरारें हटाने,

(3) ऊनताओं को पूरा करने,

(4) विषमताओं को दूर करने, और

(5) संदिग्धताओं पर काबू पाने,

की दृष्टि से अर्थपूर्ण ढंग से किया जाना है। इसी कारण आयोग ने परिवर्तनशील समाज और परिवर्तनशील समय की आवश्यकताओं और विवशताओं के अनुसार उसे अद्यतन करने के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अपने अत्यावश्यक कृत्य के भागरूप स्वप्रेरणा से यह प्रयोग किया है। विधान-मंडल के सामने आई समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र के वास्तविक कार्यकरण में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में उद्देश्य को बेहतर और अधिक समाधानप्रद रूप से पूरा करने के लिए उसे नई दिशा प्रदान करने के आशय से भी यह प्रयोग किया है।

1.3. **समस्या का मुखौटा :** वे मुख्य क्षेत्र जिनमें इस उपबन्ध के कार्यकरण से पुनर्विलोकन की आवश्यकता है निम्नलिखित हैं :—

(1) भरणपोषण के अधिकार का अवधारण और मासिक भत्ते की मात्रा,

(2) निर्णय प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब,

(3) न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत राशि वसूल करने में अनुभव की गई कठिनाई, और

(4) कुछ उपबन्धों का अस्तित्वशील होना जिनके परिणामस्वरूप गंभीर कठिनाई और घोर अन्याय होता है।

1.4. आयोग ने मुख्य बातों के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली निकाली थी जिसके बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त हुए थे। प्रश्नावली और उसके सम्बन्ध में प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् संबद्ध उपबन्धों के पुनर्विलोकन संबंधी बातों की जांच करना उचित होगा।

अध्याय 2

आयोग द्वारा निकाली गई प्रश्नावली और प्राप्त हुए प्रश्नावली के उत्तर

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रसंग में उद्भूत समस्याओं के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर आयोग द्वारा एक प्रश्नावली निकाली गई। यह कई संगठनों को भेजी गई और इसका प्रेस द्वारा भी प्रचार किया गया। प्रश्नावली के संबंध में प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण किया गया है और उत्तरों के विश्लेषण से उद्भूत स्थिति प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में दी जा रही है।

प्रश्न सं० 1

1. (क) उपेक्षित पत्नी, संतान, पिता या माता के लिए मासिक भत्ता अधिनिर्णीत करने में संहिता की धारा 125 में 500 रुपए की अधिकतम सीमा विहित की गई है। जबसे अधिकतम सीमा तय की गई थी तब से निर्वाह खर्च में बहुत बढ़ोत्तरी और पारिणामिक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए क्या 500 रुपए की राशि अयथार्थ नहीं हो गई है ?

(ख) क्या 500 रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए से 1,000 रुपए या 1,500 रुपए नहीं कर दिया जाना चाहिए ?

या

क्या यह अधिमानयोग्य नहीं होगा कि मासिक भत्ते आदि की मात्रा पर से अधिकतम सीमा की शर्तें हटा दी जाएं और उनके स्थान पर यह उपबन्ध किया जाए कि उपेक्षित पत्नी, संतान या माता-पिता की आवश्यकता पर आधारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके अन्तर्गत एक ओर ऐसे व्यक्ति की आपातकालीन भविष्यवर्ती आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरी ओर ऐसे भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की संपत्ति से आय और अन्य संसाधन हैं, न्यायालय ऐसे मासिक भत्ते के संदाय के लिए निदेश दे सकेगा जो न्यायालय न्यायोचित, ऋजु और समुचित समझे। ऐसा करने में न्यायालय भत्तें का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा भत्ते के लिए आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर और उसके पश्चात् कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किए गए विक्रय से प्राप्त वसूल राशियों का विल्लंगमों को उसकी अस्तित्ववान आस्तियां मान सकेगा ?

उत्तर : लोगों की बहुत बड़ी संख्या ने यह राय अभिव्यक्त की है कि अधिकतम सीमा हटा दी जानी चाहिए और भत्ते की मात्रा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में न्यायालय द्वारा अवधारित करने के लिए छोड़ दी जाए।

प्रश्न सं० 2

2. न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत मासिक रकम की वसूली में अनेक कठिनाइयां और कई समस्याएं सामने आती हैं। अधिनिर्णयधारी को प्रत्येक बार न्यायालय में जाना होगा जब भी भत्ता देने के लिए दायी व्यक्ति संदाय करने में उपेक्षा करेगा। अधिनिर्णयधारी को वकील नियुक्त करना होगा और वृत्तिक फीस के संदाय के संबंध में व्यय तथा अन्य आनुषंगिक व्यय एक बार फिर करना होगा और समय-समय पर बार-बार व्यय करना होगा और संदाय कई बार रोक लिया जाता है। बकाया में रकम को वसूल करने के लिए अधिनिर्णयधारी को कुछ मासों का भत्ता भी खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि न्यायालय को इस बात के लिए सशक्त किया जाए कि उचित मामलों में वह भत्ता देने के लिए दायी व्यक्ति को अपने विवेक से निदेश दे कि वह छह मास या अधिक के लिए मासिक भत्ता अग्रिम रूप से जमा कराए।

उत्तर : साधारणतया यह राय अभिव्यक्त की गई कि भरणपोषण का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को निदेश दिया जाना चाहिए कि वह छह मास के लिए भरणपोषण की रकम अग्रिम रूप से जमा करे।

(**टिप्पण :** कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि संबंधित व्यक्ति को यह निदेश दिया जाना चाहिए कि वह एक वर्ष के लिए अग्रिम जमा करे जबकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह अवधि तीन मास तक निर्बन्धित की जानी चाहिए या ऐसा आदेश केवल व्यतिक्रमियों के मामलों में ही पारित किया जाना चाहिए)।

प्रश्न सं० 3

3. धारा 125 में अनुध्यात है कि किसी व्यक्ति को मासिक भत्ता इस शर्त पर अधिनिर्णीत किया जा सकता है कि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है। "भरणपोषण करने में असमर्थ" पद की परिभाषा नहीं दी गई है। क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि इस प्रभाव का एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाए कि "भरणपोषण करना" पद के विस्तार के अन्तर्गत न केवल खाद्य, आश्रयस्थान, वस्त्रों आदि के लिए आवश्यक व्यय बल्कि भावी आकस्मिकताओं की जो बीमारी, बेरोजगारी या अन्य किसी आपत्ति के कारण पैदा हों, पूर्ति करने के लिए भी अलग रखे जाने वाली आवश्यक राशि भी आ जाए।

उत्तर : उत्तरदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि कानून में एक स्पष्टीकरण के रूप में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि भरणपोषण के विस्तार के अन्तर्गत न केवल खाद्य, वस्त्रों और आश्रयस्थान के लिए आवश्यक व्यय बल्कि भावी आकस्मिकताओं के लिए अलग रखे जाने के लिए आवश्यक राशि भी आ जाएगी।

प्रश्न सं० 4

4. क्या यह स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मासिक भत्ते का अवधारण करते समय भत्ते का संदाय करने लिए दायी व्यक्ति की न केवल वर्तमान आय बल्कि उसके अन्य सभी संसाधनों जैसे उसके कब्जे में संपत्ति और उसके संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति में हित को भी हिसाब में लिया जाना चाहिए ? और यह कि भरणपोषण का दावा करने के लिए आवेदन के संस्थित किए जाने के ठीक बारह मास पूर्व और उससे उद्भूत कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान उसके द्वारा किए गए दानों और उस अवधि के दौरान विक्रय आगम या अन्य संक्रमणों से वसूलियां भी हिसाब में ली जाएं ?

उत्तर : उत्तरदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने यह राय अभिव्यक्त की है कि भरणपोषण के संदाय के लिए दायी व्यक्ति के सभी संसाधन हिसाब में लिए जाने चाहिए।

प्रश्न सं० 5

5. क्या यह उपबन्ध करना न्यायोचित, ऋजु और समुचित नहीं होगा कि संदाय किए जाने के लिए आदिष्ट मासिक भत्ता संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की संपत्तियों पर एक भार तथा वसीयती या अवसीयती उत्तराधिकार द्वारा सम्पत्तियों को विरासत में पाने वाले व्यक्तियों से भी विरासत में पाई गई ऐसी सम्पत्तियों के मूल्य तक वसूलीय घोषित कर दिया जाए ?

उत्तर : उत्तरदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने यह राय अभिव्यक्त की है कि संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की संपत्ति या संपदा पर एक भार सृजित करने के लिए एक उपबन्ध भरणपोषण से सम्बन्धित अध्याय में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए।

प्रश्न सं० 6

6. क्या यह उपबन्ध करना न्यायोचित, ऋजु और समुचित नहीं होगा कि भत्ते की बकाया की रकम की तुष्टि हकदार व्यक्ति को वास्तविक संदाय से ही या न्यायालय का यह समाधान होने पर होगी कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक समझौते या लिखित ठहराव द्वारा किया गया है जो हकदार व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पुष्ट किया गया हो ?

उत्तर : उत्तरदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने इस प्रस्ताव के पक्ष में राय अभिव्यक्त की है।

अध्याय 3

दंड प्रक्रिया संहिता के वर्तमान अध्याय 9 में कमियों और विषमताओं की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपायों पर विचार

3.1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के सम्बन्ध में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है जैसा कि उक्त उपबन्ध के कार्यकरण के अनुक्रम में प्रकट हुआ है । इनको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है और इस उपबन्ध के प्रवर्तन के अनुक्रम में कष्ट और अन्याय उत्पन्न करने वाली बातों को दूर करने के लिए उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है ।

3.2. धारा 125 जहां तक वह वर्तमान चर्चा के लिए तात्विक है, यहां उद्धरित की जाती है :—

"125. (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति—

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है,

भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इन्कार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए कुल मिलाकर पांच सौ रुपए से अनधिक की ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे ।

परन्तु.....।

स्पष्टीकरण.....।

(2) ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरणपोषण के लिए आवेदन की तारीख से, संदेय होगा ।"

3.3. वर्तमान विचार-विमर्श उन तीन पहलुओं पर केंद्रित है जो इस उपबन्ध से, जैसा कि यह वर्तमान रूप में है, उत्पन्न होते हैं :—

(1) मजिस्ट्रेट तब भी जब उसका समाधान हो जाता है कि उच्चतर दर पर भरणपोषण के लिए दावा न्यायसंगत है कुल मिलाकर 500 रुपए से अनधिक की मासिक दर पर भरणपोषण अधिनिर्णीत नहीं कर सकता है,

(2) सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को यह विवेक प्रदत्त किया गया है कि वह भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश, या तो आदेश की तारीख से या भरणपोषण के लिए आवेदन की तारीख से करे, और

(3) पत्नी को भरणपोषण का दावा करने के लिए समर्थ बनाने के लिए पत्नी से यह सिद्ध करने की अपेक्षा की जाती है कि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, जैसा कि धारा 125(1) के खण्ड (क) में आदिष्ट है ।

1— 72 एम आफ लॉ एण्ड जस्टिस/एन०डी/90

3.4. अधिकतम सीमा : प्रथमतः आयोग ने इस उपबन्ध में दी गई अधिकतम सीमा के सन्दर्भ में उत्पन्न होने वाली समस्या की, जो किसी मजिस्ट्रेट को 500 रुपए प्रतिमास से अधिक की दर से भरण-पोषण के लिए भत्ता अधिनिर्णीत करने में असमर्थ बनाती है, जांच की है । आयोग को प्रतीत होता है कि 1955 में 500 रुपए के अंक पर अधिकतम सीमा का स्थिर किया जाना, जो 1973 में बनाए रखी गई थी, 30 वर्ष से अधिक के बीत के जाने पश्चात सुसंगत रह गई नहीं कही जा सकती । 1955 में उपभोक्ता सूचकांक 105[2] था । 1988 में उपभोक्ता सूचनांक 972[3] था । इस प्रकार जब से 500 रुपए की अधिकतम सीमा स्थिर की गई थी निर्वाह व्यय सूचकांक नौ गुणा बढ़ गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम सीमा 500 रुपए से 4500 रुपए तक बढ़ा दी जानी होगी । इसलिए इस पहलू की आयोग ने बारीकी से जांच की है । प्रथमतः क्या अधिकतम सीमा होनी चाहिए जब कि विधि में निम्नतम सीमा का उन्बपध नहीं है ? ऐसा करना कुछ अयुक्तियुक्त प्रतीत होगा । यह अभि-निश्चित करना संभव नहीं हो सका है कि इस उपबन्ध में अधिकतम सीमा रखने में विधान मंडल ने क्या मापमान अपनाया । संसद में पुरःस्थापित विधेयक के उद्देश्यों और कारणों और संसदीय डिबेटों के संदर्भ में किए गए अनुसंधान से इस उपबन्ध की तर्कयुक्ति प्रकट नहीं होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः विधान मंडल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा रखने का इच्छुक था कि जो उपबन्ध किया जा रहा है वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन गठित न्यायालय का अवलंब लेने के लिए एक संक्षिप्त उपचार था । किसी मुकदमेबाज को किसी नियमित सिविल कार्यवाही में भरणपोषण का दावा करने के लिए सिविल न्यायालय का अवलंब उपलब्ध होते हुए संभवतः अधिकतम सीमा रखना समीचीन समझा गया । समय के बीत जाने से और परिस्थितियों में परिवर्तन से स्थिति में बहुत बडा परिवर्तन हुआ है । सिविल न्यायालय का अवलम्ब लेना भरणपोषण चाहने वाली पत्नी, संतान या माता या पिता के लिए वास्तव में पहुंच से बाहर हो गया है । क्योंकि सिविल न्यायालयों में कार्यभार इस सीमा तक बढ़ गया है कि भरणपोषण के लिए दावा विचारण न्यायालय में ही कई वर्षों तक अविनिश्चित रहेगा । सिविल न्यायालयों में बकाया की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अपील न्यायालयों के उत्क्रम के माध्यम से किसी मामले को अन्तिम रूप से विनिश्चित कराने के लिए 1 दशक से अधिक समय लगेगा । इन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण का दावा करने वाला व्यक्ति अब उस मंच में ऐसा अधिकार सिद्ध करने के लिए सिविल न्यायालय में कम ही जाता है । इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालयों में मुकदमेबाजी इतनी खर्चीली हो गई है कि वह व्यक्ति जिसको भरण-पोषण की आवश्यकता है उसे सहन नहीं कर सकता । न्यायालय फीस, अधिवक्ता की फीस, आनुषंगिक व्यय और अपीलों के सम्बन्ध में उपगत किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय सिविल न्यायालय में जाने के लिए आर्थिक रूप से अनुज्ञेय बना देते हैं । भरणपोषण के लिए अधिकतर दावेदार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले दांडिक न्यायालय के आदेश पर संतोष कर लेते हैं और सिविल कार्यवाहियों का अवलंब नहीं लेते । ऐसी परिस्थितियों में समय की मांग और स्थिति की मांग यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन उपचार को यथासंभव व्यापक बनाया जाए । इस प्रकार अधिकतम सीमा को सम्मिलित करने के लिए विचारणीय युक्ति की आवश्यकता नहीं रह गई है । द्वितीयतः यह तथ्य ही कि अधिकतम सीमा है भरणपोषण के लिए अधिनिर्णित किए जाने के लिए अपेक्षित मासिक भत्ते की मात्रा अवधारण करने में मजिस्ट्रेट के मन में रहता है । यह एक मनोवैज्ञानिक भयपरतिकारी कारण है । क्योंकि अधिकतम सीमा 500 रुपए है मजिस्ट्रेट की प्रवृत्ति अधिकतम सीमा के 50% से 75% तक भरणपोषण भत्ता अवधारण करने की होती है भले ही दावेदार को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आदेश में अधिक राशि अधिनिर्णित करने के लिए न्यायोचित्य है । और अन्तिमतः निर्वाह-व्यय सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस दौरान सूचकांक में 900% वृद्धि से अधिकतम सीमा संपूर्ण रूप से असुसंगत हो गई है । दावेदार की आवश्यकता की तुष्टि आज 500 रुपए की अधिकतम सीमा भी अधिनिर्णित किए जाने से थोड़ी मात्रा में भी नहीं की जा सकती । आवास स्थान की लागत में अत्यधिक किराया दिए बिना आवास स्थान लेना असंभव बना दिया है । और खाद्य वस्तुओं और वस्त्रों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि दावेदार केवल अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च किए बिना अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता । यह भी मानना होगा कि कर्मकारों और वेतनग्राही वर्गों तथा समाज के अन्य अनुभागों की आय मुद्रा स्फीति और निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण बढ़ गई है । संदाय करने के लिए दायी व्यक्तियों के संसाधनों में वृद्धि हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है ।

2—72 एम आफ लॉ एण्ड जस्टिस/एन०डी०/90

अधिकतम सीमा संबंधी उपबन्ध को रखे रहने की वांछनीयता या अन्यथा पर विचार करने में इस बात को भी हिसाब में लेना होगा। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि यदि अधिकतम सीमा को बनाए रखा जाता है तो मुद्रास्फीति और निर्वाह व्यय में वृद्धि को हिसाब में लेते हुए इसे समय-समय पर पुनरीक्षित करना अपेक्षित होगा। बार-बार इस उपबन्ध का कालिक संशोधन करना अत्यन्त कठिन होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप विधायी समय अनावश्यक रूप से लगेगा। वर्तमान अनुभव इस आशंका की इस सीमा तक पुष्टि करता है कि 500 रुपए की अधिकतम सीमा पारिणामिक विषमता और अन्याय के बारे में किसी के (जिसके अन्तर्गत महिला सक्रिय समूह हैं) अवगत हुए बिना 30 वर्ष तक अपुनरीक्षित रही है। जब आयोग ने इस बात की परीक्षा आरंभ की तब आयोग के समक्ष दो विकल्प थे (1) मुद्रास्फीति और निर्वाह व्यय में वृद्धि को हिसाब में लेते हुए अधिकतम सीमा को बढ़ाना, और (2) अधिकतम सीमा को आमूल हटा देना और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित करते हुए प्रत्येक मामले में अधिनिर्णीत किए जाने के लिए अपेक्षित मासिक भत्ते की मात्रा अवधारण के लिए न्यायालय पर छोड़ देना। सुसंगत बातों पर गंभीर विचार करने पर आयोग की यह दृढ़ राय है कि उक्त उपबन्ध में रखी गई अधिकतम सीमा (जो इस समय 500 रुपए है) के प्रतिनिर्देश को हटा कर अधिकतम सीमा को आमूल समाप्त करना समुचित बात होगी। परिणामतः धारा 127 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में 500 रुपए की अधिकतम सीमा के प्रति किए गए निर्देश को भी हटाना होगा।

3.5. वह तारीख जिससे भरण-पोषण के रूप में मासिक भत्ते के संदाय के लिए आदेश प्रभावी बनाया जाना चाहिए—वर्तमान रूप में धारा 125 की उपधारा (2) में उपबन्ध है कि ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से या यदि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरणपोषण के लिए आवेदन की तारीख से, संदेय होगा। इस उपबन्ध का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इसमें यह विवक्षा है कि साधारणतया भरणपोषण की रकम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही का निपटारा करने वाले आदेश के पारित होने की तारीख से संदेय है जब तक कि मजिस्ट्रेट इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त निदेश नहीं देता है और भरणपोषण के लिए याचिका के संस्थित किए जाने की तारीख से मासिक भत्ते के संदाय के लिए उपबन्ध नहीं करता है। यदि आदेश, उस तारीख के बारे में जिससे भरणपोषण का आदेश प्रभावी होना है, मौन है तो आदेश कार्यवाही को निपटाने वाले अंतिम आदेश की तारीख से ही प्रभावी होगा। मध्यवर्ती अवधि के लिए, जिसके दौरान कार्यवाही न्यायालय में लंबित रही यदि भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार कार्यवाहियों की समाप्ति पर अन्ततोगत्वा मान्य ठहराया जाता है, तो भरणपोषण के लिए भत्ते से, इंकार करने के लिए कोई विचारणीय सिद्धांत नहीं है। अज्ञानतावश यह उपबन्ध मासिक भत्ते के दावेदार के विरुद्ध भारी प्रतीत होता है क्योंकि दावदार मामले के शीघ्र निपटारे में हितबद्ध होते हुए, कार्यवाही के निपटारे में विलंब दावेदार पर किसी भी प्रकार नहीं डाला जा सकता। वास्तव में यह भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को मुकदमेबाजी लंबी करने में अप्रत्यक्षतः प्रोत्साहन देता है और उसके द्वारा दावदार को होने वाले अन्याय में वृद्धि करता है। भरण-पोषण भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति का कार्यवाही को लंबा करने में निहित हित होगा। क्योंकि जितना ही विलम्ब होगा उतनी देर ही वह रकम अपने पास रख सकता है और पत्नी या दावेदार को उसके दावे से दूर रख सकता है। ऐसे व्यक्ति को आत्महानि के बिना दावेदार को कष्ट पहुचाने का क्रूर संतोष भी होगा। इसके अतिरिक्त जब दावेदार ने एक बार सिद्ध कर दिया है कि भरणपोषण भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति ने अपनी बाध्यता का उन्मोचन करने से इंकार या उपेक्षा की है तो दावेदार को याचिका संस्थित करने की तारीख से भरणपोषण से इंकार करके उसके ठीक दावे से वंचित करना क्षति को दुरूत्तर बनाना होगा। भरणपोषण का दावा करने का अधिकार उस तारीख को अस्तित्ववान था जिसको याचिका संस्थित की गई थी। यह वर्षों बाद अस्तित्व में नहीं आया, अर्थात् उस तारीख को जिसको मजिस्ट्रेट कार्यवाही निपटा सका। यह साधारण ज्ञान की बात है कि न्यायालयों में कार्यभार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। न्यायालय अतिमहत्वपूर्ण, अर्जेंट और संवेदनशील मामले भी युक्तियुक्त समय के भीतर निपटाने में समर्थ नहीं है। इस वास्तविकता का सामना करना होगा। कई बार प्रथम 4 बार के न्यायालय में कार्यवाही का निपटाने में 3 से 4 वर्ष बीत जाते हैं। दावेदार मामले के निपटारे में विलंब के लिए किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। यह दावेदार का कसूर नहीं है कि न्यायालयों में कार्य अधिक है और उनके रजिस्टर मामलों से भरे पड़े हैं। यदि है तो संभवतः यह प्रणाली का कसूर है। कोई कारण नहीं है

कि पत्नी, संतान या माता या पिता को, जिसे भरणपोषण की आवश्यकता है और जो विधि के अधीन भरणपोषण का दावा करने का हकदार अभिनिर्धारित किया जाता है, मध्यवर्ती अवधि के लिए जिसके दौरान आवेदन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित रहा, ऐसे अधिकार से वंचित किया जाए। इसलिए इस निष्कर्ष से कोई बचाव नहीं है कि धारा 125 की उपधारा (2) को इस प्रकार संशोधित करना यह उपबंध करने के लिए अपेक्षित है कि भरणपोषण की रकम दावेदार द्वारा आवेदन करने की तारीख से संदेय होगी।

3.6. धारा 125(1)(क) में "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद के खींचकर किए गए अर्थान्वयन से उद्भूत अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता जिसके परिणामस्वरूप पत्नी को भरण-पोषण इस आधार पर इंकार किया गया है कि चाहे उसकी वर्तमान में कोई आय नहीं है या उपार्जन नहीं है, वह समर्थांग और साक्षर महिला है, वह अपनी आजीविका उपार्जित कर सकती है :— भरणपोषण संबंधी उपबन्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 में किया गया था। धारा 488 का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था :—

"488. पत्नी और संतान के भरणपोषण के लिए आदेश—

(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो जिला मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान के लिए कुल मिलाकर पांच सौ रुपए से अनधिक की ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे।"

जैसा कि श्रीमती मालन बनाम बाबूराव[5] में चर्चा की गई है इस उपबन्ध का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में अन्तर्विष्ट तत्स्थानी उपबन्ध के तात्विक भाग के साथ तुलनात्मक अध्ययन से दर्शित होगा कि जहां पुरानी संहिता की धारा 488 में "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" शर्त प्रकट रूप से केवल संतान से संबद्ध थी और पत्नी से नहीं, नई संहिता की धारा 125 में यह शर्त पत्नी को अभिव्यक्त रूप से लागू की गई है। किन्तु पुरानी संहिता के इस उपबंध के पुनः प्रारूपण से विधि में कोई मौलिक परिवर्तन संज्ञापित नहीं होता और यह मात्र व्याख्या करने के लिए और जो पहले अस्पष्ट था उसे स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यह पद पहली बार 1973 की संहिता में अनुमानतः इस विवाद के संदर्भ में सम्मिलित किया गया था कि क्या पत्नी की पृथक् आय दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अधीन उसे संदेय भरणपोषण की रकम को अवधारित करने में हिसाब में ली जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय[6] और पंजाब उच्च न्यायालय[7] ने यह निर्णय किया कि पत्नी की पृथक् आय पत्नी को संदेय भरणपोषण की मात्रा अवधारित करने में हिसाब में नहीं ली जा सकती। यह विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवान दत्त के मामले[8] में अंतिम रूप से परिनिर्धारित किया गया जिसमें दिल्ली और पंजाब उच्च न्यायालयों के विनिश्चय नामंजूर किए गए और केरल उच्च न्यायालय के इस निर्णय का अनुमोदन किया कि पत्नी की पृथक् आय को विचार में लिया जा सकता है। जब संसद् द्वारा 1973 की संहिता अधिनियमित की गई तब विधि परिनिर्धारित नहीं की गई थी, "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(क) में सम्मिलित किया गया। किंतु इस पद के सम्मिलित किए जाने से अनेक अकल्पित और अप्रत्याशित बाधाएं कष्टग्रस्त महिला के मार्ग में आई जिसे भरणपोषण की आवश्यकता है :

(1) कुछ न्यायालयों ने इस अति तकनीकी अभिवाक् को मान्य ठहराया कि भरणपोषण का दावा करने के लिए याचिका में इस प्रकथन के अभाव में जिसमें अभिव्यक्त रूप से कथित किया गया हो कि याची-पत्नी "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" है, याचिका किसी और तर्क के बिना नामंजूर की जा सकती है।

(2) कुछ न्यायालयों ने इस अभिवीक् को मान्य ठहराया कि यदि भरणपोषण का दावा करने वाली पत्नी स्वस्थ और समर्थांग है या यदि वह साक्षर है और यह संभाव्यता है कि वह अपना भरणपोषण कर सकती है और तदनुसार वह धारा 125(1)(क) के अधीन भरणपोषण की हकदार नहीं है ।

जहां तक कि प्रथम बात का संबंध है वह निर्णय बाद में अधिकतम उच्च न्यायालयों[9] में उलट दिया गया है और उसके संबंध में कोई उपचारात्मक उपायों की अपेक्षा नहीं है विशेषकर अस्सी के ज्ञानप्राप्त दशक में जब न्यायालय महिलाओं की समस्याओं के बारे में अधिकतर जागरूकता दिखा रहे हैं और ऐसी समस्याओं के संबंध में संवेदनशीलता से कार्यवाही कर रहे हैं । जहां तक दूसरी बाधा का संबंध है, समस्या दो उच्च न्यायालयों अर्थात कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के संबंध में बची हुई है । "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद का इन दो न्यायालयों में यह अर्थ लगाया है कि उपार्जन की उसकी संभाव्यता या सामर्थ्य संबंधी बात को तथा इस बात को भी हिसाब में लेना आवश्यक है कि क्या उसने अपने लिए उपार्जन करने के लिए कोई प्रयास किए हैं । केरल उच्च न्यायालय [10] कहता है :

> "और इस मामले में याची इसके लिए भरणपोषण का दावा किया गया है 22 वर्ष की है । वह पर्याप्त रूप से साक्षर महिला, स्वस्थ और उसका किसी रोग से ग्रस्त होना कथित नहीं किया गया है । ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह उपधारणा की जानी चाहिए कि वह अपना भरणपोषण करने में समर्थ है जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए । यह साबित करने का भार कि वह अपना भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है, उस पर है और यदि वह पर्याप्त सबूत देने में असफल रहती है तो मजिस्ट्रेट के पास भरणपोषण के लिए उसके दावे को नामंजूर करने का पूर्ण औचित्य होगा । यदि कोई व्यक्ति अवयस्क है तो यह उपधारणा नहीं हो सकती कि वह अपना भरणपोषण करने में समर्थ है : इन दोनों आधारों पर विद्वान प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का आदेश ठीक है और उसमें हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है । पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है ।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस निर्णय का समर्थन[11] किया है और यह संप्रेक्षण किया है :—

> "अब यह देखना होगा कि मुहम्मद यार के मामले में (1941–42 दंड विधि जर्नल 439) लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा और सरस्वती के मामले में (1961) 2 दंड विधि जर्नल 640 केरल उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित यह उपधारणा, कि सामान्य रूप से पुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति, उचित रूप से साक्षर भी हो सकती है उसके बारे में यह उपधारणा की जा सकती है कि वह अपना भरणपोषण करने में समर्थ है, इस संदर्भ में उत्पन्न होती है । मैं बड़े आदर के साथ यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हूं कि यह उपधारणा केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि सामान्य रूप से स्वस्थ कोई व्यक्ति जो उचित रूप से साक्षर हो उपार्जन करने में समर्थ है । इसका विस्तार यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता कि सामान्य रूप से स्वस्थ कोई व्यक्ति जो उचित रूप से साक्षर हो उपार्जन करने में समर्थ है । इसका विस्तार यह निष्कर्ष निकालने तक नहीं किया जा सकता कि ऐसा उपार्जन ऐसे व्यक्ति का भरणपोषण करने के लिए पर्याप्त होगा ।
>
> यह तथ्य कि उसने अपने लिए उपार्जन करने से इंकार किया भरणपोषण की उस मात्रा पर, जिसके लिए पति भरणपोषण के प्रति अभिदाय करने के लिए दायी है, विचार करते समय विचार में लिया जा सकता है । यह वह विचार है जो उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है ।

इन दो राज्यों में महिलाओं को कष्ट सहन करना होगा क्योंकि उनके अधिकार उनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों द्वारा निर्वचन की गई विधि द्वारा शासित होंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है तो इस निर्णय के उलट दिए जानेकी संभावना है । किंतु क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचेगा या नहीं और यदि वह पहुंच भी जाता है तो क्या वह शीघ्र ही सुनवाई के लिए रखा जाएगा । यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में पुर्वानुमान करना

निरार्थक होगा । यह भी बहुत संभव है कि यही उच्च न्यायालय इस निर्णय को एक बड़ी पीठ गठित करके इसके विरुद्ध व्यवस्था दें । किंतु जब तक ऐसा नहीं होता है कि निचले न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि द्वारा आबद्ध होंगे और इन दो राज्यों में महिलाओं को अनावश्यक रूप से कष्ट सहन करना होगा । ऐसी स्थिति का आत्यिकता से उपचार करने की आवश्यकता है । यही कारण है कि आयोग इस पहलू के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विवश हुआ है जो केरल और कर्नाटक राज्यों के लिए विचित्र है । विमल के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय, इसमें इसके पश्चात् दिए गए तर्क के आधार पर किया है :—

> "भरणपोषण करने में असमर्थ" पद का इन सभी उपखण्डों में उपयोग किया है । उपधारा (1) (क) पत्नी के मामले से संबंधित है । उपधारा (क) (ख) धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान को भरणपोषण भत्ते का उपबन्ध करने के सम्बन्ध में है । जब कि उपधारा (1)(ग) वयस्क संतान के प्रश्न के संबंध में है जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है । उपधारा (1)(घ) पिता या पिता से संबंधित है जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं । "भरणपोषण करने में असमर्थ" पद का अर्थ लगाने के लिए धारा 125(1) की उपधारा (ग) में सहायता या साक्ष्य उपलब्ध है । यदि इस पद से विधान मंडल का यह आशय था कि आंतरिक प्रत्येक समर्थांग व्यक्ति जो उपार्जन करने के लिए अन्यथा समर्थ है धारा 125 के अधीन भरणपोषण भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं है तो उपधारा (ग) में विधान मंडल के लिए अभिव्यक्त रूप से यह कहना आवश्यक नहीं था कि वह संतान जिसने वयस प्राप्त कर लिया है तभी भरणपोषण पाने का हकदार होगी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता के कारण ऐसी संतान अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है । यह उपबन्ध विधान मण्डल के आशय पर प्रकाश डालता है । यदि उपधारा (1)(क) के उपबन्ध को इस संदर्भ में पढ़ा जाए तो मेरी राय में यह बिलकुल स्पष्ट है कि "भरणपोषण करने में असमर्थ" पद का अर्थान्वियन करते समय समर्थांग व्यक्ति का उपार्जन करने के सिद्धांत का द्योतन नहीं किया जा सकता । "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद ऐसी स्थिति की विवक्षा करता है जिसमें पत्नी के लिए किसी अन्य स्रोत से अपना भरणपोषण करना संभव नहीं है जिसके अर्थ से यह निदर्शित हो कि अपने पति से दावा किए गए भरणपोषण भत्ते के अतिरिक्त उसके पास भरणपोषण का कोई अन्य स्रोत या साधन नहीं है ।

यह सुज्ञात है कि मात्र इस कारण कि कोई व्यक्ति समर्थांग है और किसी शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त नहीं है, वह सदैव उपार्जन करने में समर्थ नहीं है । उपार्जन करने की सामर्थ्य कई बार कई अन्य बातों पर, जैसे शिक्षा, अनुभव, वित्त, कौटुंबिक परम्परा आदि, आधारित होती है । प्रतियोगी नियोजन बाजार में मात्र शारीरिक सामर्थ्य पर ही नियोजन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अर्हता नहीं है । ऐसे देश में जहां पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता अभी बहुत कम है विधान मंडल द्वारा ऐसी स्थिति कभी आशयित नहीं हो सकती । जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने बाई ताहिरा के मामले (1979 दंड विधि जर्नल 151) में संप्रेक्षण किया अनुच्छेद 15(3) की धारा 125 के संदर्भ में विवशकारी अनुकंपा की सुसंगति है और संदेह का फायदा, यदि कोई हो; कानूनी निर्वचन में अभागी पत्नी को मिलेगा । नैतिक और भौतिक परित्याग के, जो अनुच्छेद 39 में प्रकट है, विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 18 में विनिर्दिष्ट सामाजिक और आर्थिक न्याय का भाग है, जिसकी पूर्ति देश के शासन में मूलभूत है (अनुच्छेद 37) ।

नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1970 उच्चतम न्यायालय 446 : (1970 दंड विधि जर्नल 522) में उच्चतम न्यायालय को पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 में यथा प्रयुक्त "संतान" शब्द के विस्तार पर विचार करने का अवसर मिला । उच्चतम न्यायालय ने उस विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त शब्द का अर्थ अवयस्क पुत्र या पुत्री नहीं है बल्कि वास्तविक आशय "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद में अन्तर्विष्ट है । उक्त निर्णय के पैरा 9 में असहाय संतान के भाग्य के प्रति निर्देश किया गया जो चाहे वयस्क हो किन्तु शरीर या मन की दुर्बलता

या विकृति या अन्य असुविधाओं से ग्रस्त होने के कारण अपनी देखभाल नहीं कर सकते। फिर उक्त विनिश्चय के पैरा 13 में अर्थात् नानक चंद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

> "विद्वान परामर्शी द्वारा उठाई गई तीसरी बात पर विचार करने पर हमारा यह विचार है कि विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय वर्तमान स्थिति को विचार में लेने में ठीक थे, स्थिति यह थी कि आदेश पारित किए जाने के समय चंद्र किशोर एम० काम० का छात्र था और रवीन्द्र किशोर एम०बी०बी०एस० 'पाठ्यक्रम' का छात्र था।

इस प्रकार इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या वयस्क संतान भरणपोषण की हकदार थी उच्चतम न्यायालय ने केवल "उस समय अस्तित्ववान स्थिति" को विचार में लिया और उक्त प्रश्न पर उपार्जन करने की उनकी शारीरिक सामर्थ्य या क्षमता के प्रकाश में विचार नहीं किया। इस लिए इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या पत्नी या संतान "अपना भरणपोषण करने में समर्थ" है केवल वर्तमान स्थिति सुसंगत है और यदि पत्नी के पास अपना भरणपोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो यह अभिनिर्धारित करना होगा कि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है।"

आयोग का समाधान हो गया है कि केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया निर्णय प्रकट रूप से गलत है और **विमल के मामले** में मुम्बई उच्च न्यायालय का तर्क अनपवादिक है। धारा 125(1)(क) में आने वाले "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद में "उपार्जन करने की संभाव्यता" सिद्धांत को अन्तर्विष्ट करने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। यह पद विधि की अस्थिर स्थिति के संदर्भ में कि क्या कोई पत्नी, जिसके पास अपना भरणपोषण करने के लिए आय का अपना स्वतंत्र स्रोत है अपने पति से भरणपोषण का दावा कर सकती है या नहीं, 1973 में सम्मिलित किया गया था। यह संयुक्त समिति [13] की रिपोर्ट में सुव्यक्त है जिस में इस पद को सम्मिलित करने के लिए विचार-युक्ति स्पष्ट की गई है :

> "पत्नी के मामले में आदेश तभी पारित किया जा सकता है यदि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है। इन उपबन्धों के पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो मुख्यतया आहिंडन को रोकने के लिए है समिति की राय में ऐसी पत्नी को, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, भरणपोषण का संदाय करने के लिए पति को विवश करने की आवश्यकता नहीं है।"

केवल वह शर्त, जिसे धारा 125(1)(क) के अधीन भरणपोषण का दावा करने के लिए पूरा करना अपेक्षित है, यह है कि पत्नी की कोई आय नहीं है या उसके पास अपनी पर्याप्त निजी आय नहीं है जिससे वह याचिका संस्थित करने की तारीख को अपना भरणपोषण कर सकती है। क्या उसको नियोजन पाने और/या स्वयं परिश्रम करके कोई आय उपार्जित करने की संभावना थी, काल्पनिक बात है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि यदि पत्नी नियोजन पाने का प्रयास करती भी है तो भी वह उचित नियोजन प्राप्त करने में समर्थ न हो। कई बार वह नियोजन प्राप्त करने में अपने को सुरक्षित महसूस न करे चाहे वह उपलब्ध हो। पत्नी की संभावना का निर्धारण करने में संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करना सट्टे का प्रयोग होगा और मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से लंबा करेगा और भरण-पोषण का दावा करने के प्रयोजन को ही विफल कर देगा। इस उपबन्ध का यह निर्वचन तब तक नहीं किया जा सकता जो केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने किया है जब तक कि कोई व्यक्ति इस उपबन्ध को निरर्थक और प्रयोजनहीन बनाने के प्रति अचेत हो। क्योंकि इन उच्च न्यायालयों द्वारा दिया गया विनिश्चय इस समय अस्तित्ववान् है आयोग की यह राय है कि धारा 125(1) में यह स्पष्टीकरण जोड़ा जाना चाहिए कि "अपना भरणपोषण करने में असमर्थ" पद पत्नी की वास्तविक पृथक् आय, यदि कोई हो, के संबंध में है और नियोजन प्राप्त करके या परिश्रम करके अपने लिए उपार्जन करने में समर्थ होने की पत्नी की संभावना या संभाव्यता के संबंध में नहीं।

3.7. भरणपोषण की रकम की मात्रा तय करने के लिए कसौटी निश्चित करने की आवश्यकता—धारा 125 में जैसी कि इस समय है, भरणपोषण के हकदार व्यक्ति को भरणपोषण अधिनिर्णीत करने मात्र का ही उपबन्ध है किन्तु यह भरणपोषण की उस मात्रा के, जो सफल दावेदार को अधिनिर्णित किया जा सकता है, अवधारण के लिए सुसंगत कसौटी को निश्चित नहीं करता है और न ही उसे इंगित करता है। परिणामस्वरूप अवधारण साधारणतया संबद्ध मजिस्ट्रेट के व्यक्ति निष्ठ विचार से किया जाता है। विभिन्न राज्यों में मजिस्ट्रेटों द्वारा समय-समय पर अधिनिर्णित किए गए भरण-पोषण की रकम का विश्लेषण करना आर्थिक और जन शक्ति स्रोतों की कमी और समय की विवशता के कारण वस्तुतः असंभव होगा। संहिता की धारा 125 के संदर्भ में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा 1981, 1982, 1984, 1985, 1986 और 1987 में किए गए निर्णयों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि पत्नी और संतान[14] को बहुत थोड़ी रकमें अधिनिर्णित की जा रही थीं। इस बात का दृष्टांत देने के लिए 1981 में दिए गए विनिश्चय[15] के प्रति निर्देश किया जा सकता है जिसमें एक पति को, जिसका वेतन 472 रु० था संतान के लिए भरणपोषण के रूप में 50 रु० का संदाय करने का निदेश दिया गया। एक अन्य मामले[16] में, एक पति को जो 600 रु० मासिक वेतन का उपार्जन कर रहा था पत्नी के लिए 75 रु० और संतान के लिए 30 रु० का संदाय करने का निदेश दिया गया। 1984 के एक मामले[17] में 600 रुपए की आय वाले एक पति को भरणपोषण के रूप में 200 रुपए का संदाय करने का निदेश दिया गया जबकि एक पति का, जो वस्त्र इंजीनियर था और जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वह 3000 रु० प्रति मास उपार्जित कर रहा था, 500[18] रु० की राशि का संदाय करने का निदेश दिया गया। 1985[19] में 517 रुपए की आय वाले एक पति को 75 रुपए प्रति मास संदाय करने का निदेश दिया गया और 1987[20] में 900 रुपए की आय वाले एक पति को 300 रुपए प्रति मास संदाय करने का आदेश दिया गया। इस कारुणिक स्थिति का कारण दृश्यमान है। भरणपोषण की रकम का अवधारण करने में शायद मजिस्ट्रेट के मन पर कोई मनोवैज्ञानिक कारण प्रभाव डालता है जो उसे उसकी मासिक आय मात्र को ही हिसाब में लेता है और उसके सभी संसाधनों को नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट तदनुसार भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते का पति की मासिक आय के साथ परस्पर संबंध जोड़ता है। यह महसूस नहीं किया जाता कि मासिक आय के अतिरिक्त पति या रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की संपत्ति और अन्य संसाधन होंगे जिनमें से पर्याप्त भरणपोषण भत्ते का संदाय उसके द्वारा किया जा सकता है। वे आस्तियां, जंगम और स्थावर, जिनमें से पति या ऐसा व्यक्ति दायित्व की पूर्ति कर सकता है शायद गणना में नहीं आतीं। यह आवश्यक नहीं है कि पति या दायी व्यक्ति अपनी जंगम और स्थावर आस्तियों को अविकल रखते हुए संदाय केवल अपनी मासिक आय से करे। अपनी पत्नी या संतान या अपनी माता या पिता के भरणपोषण संबंधी विवाधक के, दावेदार के पक्ष में, विनिश्चित कर दिए जाने पर बाध्यता के उसकी आय की मात्रा पर आश्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अन्य संसाधनों और आस्तियों को जिनमें से वह अपनी बाध्यता की पूर्ति कर सकता है हिसाब में लेने से नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए समुचित संशोधन द्वारा यह उपबंध करना आवश्यक है कि भरणपोषण की मात्रा का अवधारण करने में भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति कि न केवल वर्तमान आय को ही बल्कि भरण पोषण के लिए याचिका के संस्थित किए जाने की तारीख को अस्तित्व-वान् उसके सभी अन्य संसाधनों और आस्तियों को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, हिसाब में लेना चाहिए कि ऐसी राशि अधिनिर्णीत की जाए जो अपेक्षित पत्नी, संतान या माता-पिता की आवश्यकता पर आधारित आवश्यकताओं के आधार पर, जिनके अन्तर्गत दावेदार की भावी आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि भी है, उसका भरणपोषण करने के लिए दावेदार को समर्थ बनाने के लिए न्यायसंगत और उचित समझी जाए। यह स्पष्ट करना भी अपेक्षित है कि अधिनिर्णयधारी की आवश्यकता केवल खाद्य, वस्त्र, आश्रयस्थान, औषधियां, शिक्षा संबंधी व्यय आदि ही नहीं बल्कि अपूर्वदृष्ट आपदाओं और व्यय के लिए उपबन्ध करने की आवश्यकता को भी हिसाब में लेना होगा।

3.8. भरणपोषण पाने और उसे पाते रहने का हकदार बनाने के लिए पत्नी पर अधिरोपित दुर्भर और संकटमय बंधनों को हटाना—चर्चा के इस भाग में अन्तर्वलित बात को समझने के प्रयोजन के लिए धारा 125 की उपधारा (4) और (5) पर दृष्टि डालना आवश्यक है, इनमें यह उपबन्ध है :—

"(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भत्ता प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।"

भरणपोषण पाने और पाते रहने के उसके अधिकार पर उपरोक्त उपबन्धों द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन विशेष रूप से इस उपरिका के संदर्भ में कि वह ऐसे भत्ते की हकदार नहीं होनी चाहिए "यदि वह जारता की दशा में रह रही है" जहां तक पत्नी का संबंध है, अन्यायपूर्ण है । इस पहलू पर प्रतिपरीक्षा द्वारा पत्नी को समाप्त न होने वाली सीमा तक उलझन में डाला जा सकता है । पत्नी के संपर्कों और आने जाने के संबंध में आरोपों भरे प्रश्न और उलझन भरे प्रश्न इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या आरोपों में कोई सार है या नहीं, किए जा सकते हैं । ऐसा मार्ग पत्नी को अभित्रस्त करने और उसे कार्यवाहियों का त्याग करने और अन्यायपूर्ण समझौता करने के लिए अपनाया जा सकता है । ऐसी स्थिति और सामाजिक लांछन के भय से खुले न्यायालय में पारिणामिक उलझन से अपने आपको बचाने की उसकी चिंता की दृष्टि से पत्नी अपने आपको बहुत बड़े दबाव में पाएगी । यदि कोई पत्नी उस अर्थ में जारता की दशा में रह रही है जिसमें उस पद का निर्वचन न्यायालयों[21] द्वारा किया गया है (नैतिकता से गाल पतन की ही दोषी नहीं बल्कि जारता संबंधों में लगातार लगे रहने की दोषी) इसे समाधानप्रद साक्ष्य पेश करके न्यायालय में सिद्ध करना बहुत कम संभव होगा । यह सिद्ध करना पर्याप्त नहीं होगा कि पत्नी को ऐसे व्यक्ति के साथ आते जाते देखा गया है जिसके साथ उसका सम्पर्क होने का अभिकथन है । न ही उनके आपस में मिलने या परिचय की सीमा के बारे में साक्ष्य देना पर्याप्त होगा । ऐसे गंभीर आरोप को सिद्ध करने में, जो यदि सत्य भी हो, लगाना सरल है किन्तु साबित करना बहुत कठिन, सफल होने के लिए और बहुत कुछ सिद्ध करना होगा । ऐसी परिस्थितियों में पत्नी को उलझन में डालने और उसका आचार भ्रष्ट करने से भिन्न कोई प्रयोजन इस उपबन्ध के रखे रहने से पूरा नहीं होता है । वर्तमान प्रयोजन के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि पति के प्रति जो एक ओर तो पत्नी का भरणपोषण से इंकार करता है या उससे उपेक्षा करता है और दूसरी ओर जो स्वयं स्वैर जीवन व्यतीत करने में स्वतंत्र है, लैंगिक भक्ति और विश्वस्तता वैवाहिक बंधन से उद्भूत और विधि द्वारा मान्यता-प्राप्त पत्नी का भरणपोषण करने की बाध्यता को प्रवर्तित करने के लिए न्यायसंगत रूप से हिसाब में ली जा सकती है । इस लिए आयोग का यह विचार है कि धारा 125 की उपरोक्त उपधाराओं को, उपरोक्त दो उपधाराओं में आने वाले "यदि वह जारता की दशा में रह रही है" पद को हटाकर संशोधित करना चाहिए ।

3.9. भरणपोषण के रूप में अधिनिर्णीत मासिक भत्ते की भरणपोषण का संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति से वसूली — उस पत्नी, संतान या माता-पिता का कष्ट न तो समुचित रकम अधिनिर्णित किए जाने के द्वारा और न ही उक्त रकम शीघ्र अधिनिर्णित किए जाने द्वारा कम होता है यदि दावेदार उसे वसूल करने में असमर्थ है या उसे वसूल करने के लिए उसे लगभग अजेय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के वर्तमान अध्याय 9 में इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । बहुत सी कमियां, विषमताएं, संदिग्धताएं और त्रुटियाँ हैं जिनकी सुसंगत उपबन्धों के कार्यकरण के अनुक्रम में पहचान की गई है जिनकी ओर ध्यान देना अपेक्षित है । उस दावेदार को, जिसने भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते के संदाय के लिए आदेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात् :—

(1) अधिनिर्णयधारी को भरणपोषण के लिए प्रत्येक मास आदेश प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में जाना अपेक्षित है यदि कोई जिद्दी व्यक्ति नियमित रूप से संदाय करने से इंकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है, अधिनिर्णयधारी को उसे अधिनिर्णित

भत्ते की वसूली करने के प्रयोजन से एक अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ता है, न्यायालय में जाना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है और नए सिरे से मुकदमेबाजी आरंभ करने में समय लगाना पड़ता है और यह केवल एक बार ही नहीं कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना हो । ऐसी स्थिति का उतनी बार ही सामना करना पड़ता है जितनी बार भरणपोषण का संदाय करने के लिए अभिनिर्धारित व्यक्ति व्यतिक्रम करता है । यह किसी सिविल मामले में डिक्रीधारी की समस्या के असमान है जिसकी डिक्री की तुष्टि एक कार्यवाही में निष्पादन न्यायालय में जाने से हो जाएगी । मासिक भत्ते मासानुपास संदेय होने के कारण व्यतिक्रम प्रत्येक मास या हर दो मास में या कालिकतः कई अवसरों पर किया जा सकता है । रकम को वसूल करने में जो बकाया हो गई है प्रत्येक बार कार्यवाही संस्थित करनी होगी जिसमें असहनीय समय और धन अधिनिर्णयधारी का लगेगा जो पहले ही कष्टग्रस्त है । अधिनिर्णयधारी को इस बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वह अधिवक्ता के पास जाने और न्यायालय में अनिश्चित काल के लिए और अनेक अवसरों पर जाने में अपने जीवन का एक भाग व्यतित कर दे । यह एक अतिमहत्वपूर्ण बात है जिसका उचित हल ढूंढने की आवश्यकता है ।

(2) यदि उस स्थिति में जिसमें अधिनिर्णयधारी होता है वह अंतिम कुसूर किए जाने से एक वर्ष के दौरान न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो अधिनिर्णयधारी का दावा धारा 125(3) के प्रथम परन्तुक के, जो इस प्रकार है, आधार पर अप्रवर्तनीय हो जाता है :

"परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है" ।

(3) अधिनिर्णयधारी पत्नी को मुकदमेबाजी के एक और दौर का सामना करना पड़ सकता है यदि वह पति जो भत्ते का संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित किया गया है न्यायालय से आवेदन करता है कि वह इस शर्त पर पत्नी का भरणपोषण करने को तैयार है कि वह उसके साथ रहे और यह कि वह धारा 125 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के, जो इस प्रकार है, सन्दर्भ में उसके साथ रहने से इंकार करती है :

"परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इंकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है ।"

स्पष्टीकरण : यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा ।

इस प्रकार अधिनिर्णयधारी के मार्ग में लगभग अजेय बाधाएं पैदा की जाती है जिनका अर्थ वास्तव में केवल एक कागजी अधिकार प्रदत्त करना है जो वास्तव में न के बराबर है।

3.10. "पहली समस्या" : इस तथ्य के, किस अधिनिर्णयधारी को असहनीय समय-खर्च, धन-खर्च और प्रयास-खर्च पर न्यायालय में भागना होगा, संदर्भ में उत्पन्न होने वाली अति गंभीर अड़चन की बाबत न्यायालय केवल एक ही हल सोच सकता है । मासिक भत्ते के लिए आदेश करनेवाले मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निदेश दे कि वह उसके द्वारा अवधारित दर पर छह मास के लिए भत्ता अग्रिम रूप से जमा करे और उसे तब तक जमा रखे जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना अन्यायपूर्ण नहीं समझता है । संबद्ध मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व सभी सुसंगत परिस्थितियों को

हिसाब में लेने का विवेक प्रदत्त किया जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त किया जाता है तो दायी अभिनिर्धारित किया गया व्यक्ति मासानुमासी और समय पर संदाय करनेसे इंकार करके या उपेक्षा करके अधिनिर्णयधारी को संकट में नहीं डालसकता। संबद्ध मजिस्ट्रेट को अधिनिर्णयधारी को यह अनुज्ञा देने के लिए भी सशक्त किया जाना चाहिए कि दायी अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में वह जमा की गई रकम में से शोध्य रकम निकाल सकता है। मजिस्ट्रेट के पास यह निदेश देने की शक्ति भी होनी चाहिए कि संदाय, या तो पत्नी के नाम में खोले गए बैंक में जमा करके या न्यायालय में मासानुमास जमा करके या मनी आर्डर द्वारा जैसे भी अभिनिर्णयधारी को सुविधाजनक हो, अधिनिर्णय-धारी से परामर्श करके उसकी इच्छानुसार किया जाए। मजिस्ट्रेट की यह भी शक्ति होनी चाहिए कि वह जिम्मेदार अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति के नियोजक को, यदि कोई हो, निदेश दे सके कि वह दायी अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति के मासिक वेतन से मासिक भत्ते की कटौती करे और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अधिनिर्णयधारी को संदत्त करे। यह उपबंध भी किया जाना चाहिए कि कटौती करने में जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम न्यायालय का अवमान होगा। इस हाल से अधिनिर्णयधारी के कष्ट में प्रचुर मात्रा में सुधार होगा।

3.11. दूसरी समस्या :—वसूली के लिए वारंट जारी करने के लिए अधिनिर्णयधारी को न्यायालय में जाने से रोकने के लिए यह कोई अच्छा या सारवान् कारण नहीं है कि अधिनिर्णयधारी एक वर्ष के अंदर न्यायालय में नहीं गया है। वास्तव में इससे अधिनिर्णयधारी से घोर और गंभीर अन्याय होता है, क्योंकि यदि अधिनिर्णयधारी शारीरिक या आर्थिक या अन्य कारणों से न्यायालय में जाने की स्थिति में नहीं है तो संपूर्ण दावा समाप्त हो जाता है। रकम के शोध्य होने से एक वर्ष के अन्दर न्यायालय में न जाने से दायी अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह उपबन्ध करने में, कि यदि न्यायालय में एक वर्ष के अन्दर न आवेदन किया जाए तो भरणपोषण की बकाया रकम संपूर्ण रूप से अवसूलीय हो जाएगी, कोई प्रयोजन या सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए धारा 125(3) के प्रथम परन्तुक को संपूर्ण रूप से हटा देना चाहिए।

3.12. तीसरी समस्या :—इसी प्रकार वसूली के प्रक्रम पर इस विवाद को एक बार फिर पुनरारंभ करने में कोई अच्छा कारण नहीं है कि क्या पत्नी पति के साथ रहने से इंकार करने की हकदार है या नहीं। इस प्रश्न पर उस प्रक्रम पर विचार किया गया होगा जब भरणपोषण के अधिकार का अवधारण गुणावगुण पर किया गया था। वसूली के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर यह अपेक्षा करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा कि यदि पति यह प्रस्थापना करता है कि वह इस शर्त पर उसका भरणपोषण करने को तैयार है यदि वह उसके साथ रहे तो संपूर्ण विवाद पर फिर से विचार किया जाए। इस उपबन्ध के होने से पीड़ा पहुंचाने वाले पति के लिए कष्ट देने वाले आयुद्ध का उपबन्ध करने से बेहतर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है क्योंकि उस पत्नी को थका देने के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है और जिसने लंबी, खर्चीली और असमान लड़ाई के पश्चात् अपने पक्ष में विनिश्चय प्राप्त किया है, पति सदैव आवेदन कर सकता है। पति को यह प्रस्थापना करने के लिए समर्थ बनाकर जिससे आगे कार्यवाही बढ़े तथा और विलंब हो, जिस अवधि के दौरान भत्ते का संदाय करने की बाध्यता का आदर करने से पति अच्छी प्रकार विरत रह सकता है न्यायालय द्वारा पहले से अवधारित भरणपोषण के अधिकार को संशय में डालने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। इस परन्तुक को (स्पष्टीकरण सहित) संपूर्ण रूप से हटा देना चाहिए।

3.13. मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध व्यथित पक्षकार को अपील का अधिकार प्रदत्त करने के लिए आवश्यकता :— मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 के अधीन पारित किया गया आदेश इस समय अपीलनीय नहीं है। केवल मार्ग जो किसी व्यथित पक्षकार के लिए खुला है वह पुनरीक्षण न्यायालय में पुनरीक्षण के रूप में है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किए गए अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील का उपबन्ध करना क्यों आवश्यक हो गया है उसके लिए दो कारण हैं, अर्थात् :—

(1) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधिनियमित हो जाने से भरणपोषण के लिए कार्यवाहियों को सुनने की अधिकारिता अब कुटुम्ब न्यायालय में निहित है [धारा 7(1)

(ङ) और 7(2)(क) देखिए]। उन स्थानों में जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर दिया गया है मजिस्ट्रेटों के समक्ष लंबित कार्यवाहियां कुटुम्ब न्यायालय को अन्तरित करनी होंगी और उक्त न्यायालय में ही नए सिरे से कार्यवाहियां आरम्भ करनी होंगी। किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक अन्तिम विनिश्चय के विरुद्ध अपील के लिए उपबन्ध कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अधीन किया गया है। इन परिस्थितियों में एक ही राज्य में मुकदमाबाजों के दो संवर्गों के विरुद्ध विभेद होगा। कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों में मुकदमाबाजों को भरणपोषण मंजूर करने या इंकार करने वाले अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार होगा। जबकि राज्य के शेष भाग में उसी स्थिति में मुकदमेबाज को अपील का ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। इससे अधिकार गणना का भ्रम हो जाएगा। इन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भी अपील का उपबन्ध करना उपयुक्त होगा।

(2) प्रस्ताव के समर्थन में दूसरा कारण यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गलत विनिश्चय किसी भी मंच पर गुणागुण के आधार पर अजेय हो जाएगा क्योंकि पुनरीक्षण की परिधि सीमित है। अभी तक इस आधार पर कि धारा 125 के अधीन आदेश से उत्पन्न पुनरीक्षण का विस्तार अन्य मामलों में न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता के विस्तार से अधीक था पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय पर कोई रोक न डालता हो। किन्तु फातमा बनाम महम्मद[22] के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए जिसमें इस प्रभाव का अभिनिर्धारण किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध तथ्य संबंधी निष्कर्ष पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है, पुनरीक्षण अधिकारिता का विस्तृत रूप में प्रयोग करना अब संभव नहीं होगा।

इन दो विचारों के प्रकाश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित भरणपोषण मंजूर करने वाले या उससे इंकार करने वाले किसी अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध करना उचित होगा।

3.14. उन मामलों में जहां दायी व्यक्ति अपील करता है अधिनिर्णयधारी का संरक्षण :—यदि भरण-पोषण का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति अपील करता है तो पत्नी, संतान या माता या पिता को जिसे भरणपोषण अधिनिर्णीत किया गया है सही संरक्षण नहीं होगा। इसलिए यह उपबन्ध करना आवश्यक है कि भरणपोषण का संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित किए गए व्यक्ति द्वारा अपील में, अपील तभी चलाने योग्य होगी जब उसके साथ अपीलार्थी का इस प्रभाव का शपथ-पत्र संलग्न हो कि उसने ऐसी सभी बकाया जमा कर दी है या संदात्त कर दी है और भावी भरणपोषण नियमित रूप से जमा करेगा। किन्तु यह उपबन्ध किया जाए कि अपील न्यायालय, अपना समाधान हो जाने पर कि यदि अपीलार्थी से सभी बकाया जमा करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे असम्यक् कष्ट होगा, अपने विवेक से जमा करने के लिए समय बढ़ा सकेगा या बकाया का कोई भाग जमा करने से अपीलार्थी को छूट दे सकेगा।

3.15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण का दावा करने वाली पत्नी, संतान या माता या पिता वाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए "भरणपोषण परामर्शी" के पद के सृजन की आवश्यकता :—किसी अभित्यक्त पत्नी, उपेक्षित संतान या असहाय माता या पिता को प्रदत्त अधिकार अर्थहीन है यदि दावेदार को, जिसे स्वयं भरणपोषण की आवश्यकता है संबद्ध व्यक्ति को ऐसा अधिवक्ता नियुक्त करने में, जो दावेदार का मामला पेश करेगा और तत्परता से उसका अभियोजन करेगा, समर्थ बनाने में पर्याप्त निधि एकत्र करनी पड़े। दावेदार स्वयं आर्थिक कष्ट में होगा और दावेदार के लिए अत्यंत कष्टदायी होगा यदि उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह परामर्शी को देने के लिए निधि एकत्र करे जिससे कार्यवाहियों की समाप्ति पर भरणपोषण के लिए उसकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

यह सामान्य अनुभव की बात है कि किसी दावेदार को कार्यवाही की समाप्ति पर भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए शायद एक वर्ष से अधिक की भरण पोषण की राशि खर्च करनी पड़ती है। दावेदार के कष्ट में वृद्धि तब हो जाती है जब उक्त व्यक्ति को फिर अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ता है और वसूली के लिए कार्यवाहियां समय-समय पर आरम्भ करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में दावेदार विधि व्यय की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय तक भरणपोषण भत्ते से वास्तव में वंचित किया जाता है। निस्संदेह यह सत्य है कि राज्य द्वारा प्रयोजित विधिक सहायता स्कीमों से कष्ट में कुछ कमी हुई है। किन्तु जब विधिक सहायता समिति पैनल पर किसी अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराती है तो उक्त अधिवक्ता इस तथ्य के कारण कि उसका अपना निजी व्यवसाय होगा और विभिन्न न्यायालयों में ऐसे मुवक्किलों के मामले में उपस्थित होना उससे अपेक्षित होगा, पर्याप्त समय और ध्यान देने में समर्थ न हो। विधिक सहायता समिति द्वारा संबद्ध अधिवक्ता को दिया गया पारिश्रमिक भी संतोषप्रद न हो। इन परिस्थितियों में दावेदार के हित का तभी अधिक बेहतर और प्रभावी साधन होगा यदि दंड प्रकिया संहिता की धारा 125 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय से संलग्न भरणपोषण परामर्शी की सेवाएं समाज कल्याण और राज्य के विधिक सहायता दायित्व के उपाय के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24, 25 के अधीन नियुक्त किसी अपर या सहायक लोक अभियोजक को इस प्रयोजन के लिए भरणपोषण परामर्शी अभिहित किया जा सकता है जिसका यह दायित्व हो कि वह धारा 125 के अधीन दावेदारों के मामलों में अनन्य रूप से लगेगा और उसे यह स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य मामलों की ओर तभी ध्यान देगा जब भरणपोषण कार्य समाप्त हो जाए। जहां तक संभव हो इन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए महिला अधिवक्ताओं को नियुक्त करना वांछनीय होगा। संबद्ध परामर्शी सम्बद्ध न्यायालय से संलग्न होगा इसलिए वह सदैव उपलब्ध होगा और वर्ष भर इस कार्य में लगे रहने के कारण संबद्ध विषय और प्रक्रिया से अवगत और सुपरिचित होगा। निस्संदेह ऐसे भरणपोषण परामर्शी की सेवाएं इस अर्थ में वैकल्पिक होंगी की दावेदार को यदि ऐसी वांछना की जाए, तो दावेदार को अपने खर्चे पर अपने चुनाव के परामर्शी को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

3.16. पत्नी, सन्तान या माता या पिता के अधिकार से जिसे मासिक भत्ता अधिनिर्णीत किया गया है, अधिनिर्णयधारी को वंचित करने के लिए संपत्तियों का अन्तरण करने वाले दायी व्यक्ति द्वारा विफल करने की अनुज्ञा नहीं देना चाहिए :—भरणपोषण के लिए दावेदार के पक्ष में पारित किसी आदेश को दायी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन संपत्तियों के अन्तरण द्वारा सुगमता से विफल किया जा सकता है जिसमें उद्देश्य अधिनिर्णयधारी को उस आदेश के फायदे से वंचित करना हो जो प्रचुर मात्रा में समय, धन और प्रयास लगाकर प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कानून द्वारा प्रदत्त भरणपोषण का अधिकार सभी प्रयोजनों के लिए भ्रामक कर दिया जाएगा। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि समय परिवर्तन और सिविल न्यायालयों में कार्यभार में वृद्धि से, जो कमरतोड़ हो गई है, वह पत्नी, संतान या माता या पिता जिससे भरणपोषण की आवश्यकता है न्यायालयों के उत्क्रम से ऐसे व्यक्ति के जीवन-काल के दौरान अन्तिम आदेश अभिप्राप्त करनेकी आशा से सिविल न्यायालयों में एकबार फिर मुकदमे-बाजी सहन नहीं कर सकता। इस ध्रुव सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती। धारा 125 के अधीन कार्यवाही केवल ऐसी कार्यवाही है जिसका आश्रय ऐसा व्यक्ति लेता है जो सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता है और नहीं जाता है। इसलिए धारा 125 के अधीन कार्यवाही वास्तव में ऐसी कार्यवाही हो जाती है जिसका आश्रय भरणपोषण का हकदार व्यक्ति लेता है। इस परिस्थितियों में, भरणपोषण के आदेश को "भ्रामक" के स्थान पर "वास्तविक" बनाने के लिए इस प्रभाव का उपबन्ध करना आवश्यक है कि संदेय होने के लिए आदिष्ट मासिक भत्ता दायी व्यक्ति की सम्पत्तियों पर एक भार होगा और अन्तरिती से तथा वसीयती या अवसियती उत्तराधिकार द्वारा संपत्तियों को विरासत में पाने वाले व्यक्ति से भी वसूलीय होगा। और यह और भी कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भरणपोषण का दावा करने वाली याचिका के संस्थित किए जाने की तारीख और अन्तिम आदेश होने तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान दायी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित ऐसी संपत्ति के विरुद्ध भरणपोषण के लिए आदेश की तुष्टि प्राप्त करने के अधिनिर्णयधारी के हक के अधीन रहते हुए होगा।

3.17. यह उपबन्ध करने की आवश्यकता कि मासिक भत्ते के लिए आदेश का वास्तविक संदाय द्वारा या भरणपोषण के लिए आदेश पारित करने वाले न्यायालय की आज्ञा से समझौते द्वारा ही उन्मोचन या तुष्टि होगी अन्यथा नहीं :—भरणपोषण का दावा करने वाली पत्नी और अन्य दावेदारों का संताप न्यायालय से मासिक भत्ते के लिए आदेश प्राप्त करने पर समाप्त नहीं हो जाता है। कई बार जब आदेश को प्रवर्तीत कराने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाती है तो अधिनिर्णयधारी को इस अभिवाक् का सामना करना पड़ता है कि दावे की तुष्टि आदेश के पारित किए जाने के पश्चात् पक्षकारों के बीच समझौते या ठहराव से हो गई है। इससे एक और मुकदमे के लिए अवसर और अधिनिर्णय-धारी को पीड़ा की गुंजाइश होती है। इन परिस्थितियों में यह उपबन्ध करना आवश्यक है कि भरण-पोषण के लिए आदेश को तब तक उन्मोचित या तुष्ट हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, जिसने मूल आदेश पारित किया था दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी ठहराव या समझौते के जो उसके बीच हो गया हो अभिलेखन के लिए आवेदन नहीं किया जाता है। ऐसा ठहराव या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और अधिनिर्णयधारी द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट का यह समाधान करके कि ठहराव पूर्ण समझदारी से स्वैच्छया और समुचित प्रतिफल के लिए किया गया, पुष्ट किया जाना चाहिए। और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह मजिस्ट्रेट द्वारा अपना यह समाधान होने पर अभिलेखबद्ध किया जाएगा कि ठहराव असली, स्वैच्छिक, समुचित प्रतिफल के लिए और न्यायसंगत तथा उचित है।

अध्याय 4

भरणपोषण का दावा करने के लिए कार्यवाही के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए प्रक्रिया में सुधार करना

4.1. **भरणपोषण का दावा** करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियां भरणपोषण के हकदार दावेदारों को तुरंत और शीघ्र राहत देने के लिए प्रकल्पित संक्षिप्त कार्यवाहियां हैं। वास्तव में यह सामान्य अनुभव है कि ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा कई वर्षों तक नहीं होता। न्यायालयों के मामला-रजिस्टर बहुत भरे पड़े होने के कारण यह उपधारणा है कि कुछ राज्यों में स्वयं[23] मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निपटारे में लगभग चार वर्ष लग जाते हैं। कार्यवाही की प्रकृति से ही भरणपोषण के लिए दावे का शीघ्र अवधारण मामले का सार है। वह दावेदार जिसे भरणपोषण की आवश्यकता है और विधि के अधीन भरणपोषण का हकदार है भरणपोषण के लिए आर्थिक साधनों के बिना अनुकूल विनिश्चय की आशा और प्रत्याशा में दो-चार वर्ष मुश्किल से जीवित रह सकता है। इसलिए संक्षिप्त प्रक्रिया की, जो सम्बद्ध मजिस्ट्रेट को मामले का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए समर्थ बना सके, आवश्यकता स्वतः सुव्यक्त है। यह प्रतीत होता है कि मामले के आयाम को देखते हुए भरणपोषण से संबंधित अध्याय 9 में ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय प्रक्रम पर मुकदमेबाजी की अवधि को कम करने के लिए प्रकल्पित ऐसी प्रक्रिया को अध्याय 9 में सम्मिलित करना आवश्यक है। साधारणतया इस समस्या पर तीन स्तरों पर काबू पाया जा सकता है : (1) विहित समय-सीमा के अन्दर कथन फाइल करने में प्रत्यर्थी की असफलता पर यथाप्रार्थित आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करने के साथ लिखित कथन या आक्षेपों का कथन फाइल करने के लिए समय-सीमा विहित करना, (2) अभिसाक्षियों के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अन्य पक्ष को अवसर देने के साथ शपथपत्रों पर मामले का विनिश्चय करना, और (3) दिन प्रतिदिन सुनवाई करने के पश्चात् मामले के यथा साध्य शीघ्र निपटारे के लिए मजिस्ट्रेट से अपेक्षा करना।

4.2. **कथन फाइल करना** :—मजिस्ट्रेट द्वारा हाजिरी के लिए जारी किए गए समन में, जिसके साथ आवेदक द्वारा संस्थित याचिका की प्रति तथा उसके संलग्नक होंगे प्रत्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वह शपथ पत्र द्वारा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट हो, समर्थित आक्षेप के आधारों को अन्तर्विष्ट करने वाला कथन फाइल करे—(1) मासिक भत्ते के लिए प्रार्थना का विरोध करने के लिए तथ्य संबंधी आधार, (2) मासिक भत्ते के लिए दावे का विरोध करने के लिए विधिक आधार, (3) पूर्ववर्ती दो कैलेण्डर वर्षों में उसकी सभी स्रोतों से मासिक आय, और (4) मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उसके दायित्व के सबन्ध में उसके प्रति विरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक भत्ते का दावा करने का हकदार है तो कितनी रकम अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।

4.3. **आक्षेपों का कथन फाइल करने के लिए अपेक्षा और ऐसा करने में असफलता के परिणाम** :—प्रत्यर्थी उपरोक्त आधार विनिर्दिष्ट करने वाला और उपरोक्त विशिष्टियां देने वाला आक्षेपों का कथन समन की तामिल से 15 दिन के अन्दर फाइल करेगा। कथन फाइल करने का समय प्रत्यर्थी द्वारा पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

उपक्तरो निबन्धनों में लिखित कथन या आक्षेपों का कथन फाइल करने में प्रत्यार्थी की असफलता पर न्यायालय आवेदक द्वारा याचिका में किए गए प्रकथनों को सही मान सकेगा और आवेदक के पक्ष में यथाप्रार्थित आदेश पारित करने के लिए अग्रेसर हो सकेगा।

4.4. **शपथपत्रों पर साक्ष्य** :—यदि प्रत्यार्थी उपरोक्त अपेक्षा के अनुसार अपने आक्षेपों के आधार फाइल करता है तो न्यायालय दोनों पक्षों से उनके परस्पर प्रति विरोधों के समर्थन में 15 दिन के अन्दर

साक्षियों के शपथपत्र फाइल करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि पक्षकार अतिरिक्त शपथपत्र फाइल करना चाहे तो न्यायालय पक्षकारों को 15 दिन का और समय दे सकेगा।

न्यायालय विरोधी पक्ष द्वारा दिए गए शपथपत्रों के अभिसाक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा के लिए, यदि कोई हो, शीघ्र ही तारीख नियत करेगा।

न्यायालय तत्पश्चात् तर्क की सुनवाई करने के लिए और मामले का यथासंभव शीघ्र निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

4.5. यदि सुनवाई की तारीख को किसी पक्षकार के साक्षी पहले फाइल किए गए शपथपत्रों पर प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित हैं तो मजिस्ट्रेट उनका साक्ष्य अभिलिखित करेगा। किन्तु यदि मजिस्ट्रेट भागतः सुने गए या अन्य अर्जेंट मामलों के दबाव के कारण साक्ष्य लेखबद्ध करने में असमर्थ है तो वह उनका साक्ष्य अभिलिखित कराने के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी को आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगा जिससे कि साक्षियों को फिर वापस न आना पड़े और मामले में उस निमित्त किसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा किए बिना विलम्ब न हो।

4.6. जहां तक साध्य हो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कोई कार्यवाही आक्षेपों के फाइल किए जाने के पश्चात् दिन प्रतिदिन की जाएगी और अन्य पक्ष पर सूचना की तामील से छह मास के अन्दर पूर्ण की जाएगी और अन्तिम रूप से निपटा दी जाएगी।

4.7. **पैरा 3.10 में की गई सिफारिश के अनुसार छह मास का भत्ता अग्रिम रूप में जमा किए रखने के लिए दायी व्यक्ति को निदेश देने वाले आदेश को प्रवर्तित करने की शक्ति** :—छह मास के भरणपोषण के भत्ते को जमा किए रखने के लिए दायी व्यक्ति को निदेश देने वाला समुचित आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट को सशक्त करने का प्रयोजन विफल हो जाएगा यदि आदेश का आत्महानि के बिना अपमान किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में आदेश को प्रवर्तित करने के लिए संबद्ध मजिस्ट्रेट को सशक्त करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की जानबूझकर अवज्ञा, जो उस पर इस निमित्त भार का निर्वहन करके यह दर्शित करने में असमर्थ है कि उसके पास अपनी संपत्तियों पर उधार लेकर भी आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त साधन या संसाधन नहीं हैं न्यायालय के आदेश की अवज्ञा होगी। मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान होने पर कि आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की जा रही है ऐसी अवज्ञा के दोषी व्यक्ति की किसी संपत्ति को, उस रकम की वसूली करने के लिए, कुर्क करने और उसका विक्रय करने का आदेश दे सकेगा और उस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए राज्य के खर्च पर ऐसे व्यक्ति को जेल में निरुद्ध भी कर सकेगा। सम्बद्ध मजिस्ट्रेट सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए आदेश किसी सिविल न्यायालय को आदेश को उसी रीति में प्रवर्तित करने के लिए अनुरोध सहित पारेषित कर सकेगा जिस रीति में किसी सिविल न्यायालय द्वारा किसी डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। उस सिविल न्यायालय को, जिससे ऐसा अनुरोध किया जाता है, उस आदेश को प्रवर्तित करने का इस प्रकार का प्राधिकार होगा मानो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 2क के अधीन आदेश का निष्पादन कर रहा हो।

4.8. निष्पादन की अन्य रीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मासिक भत्ते के संदाय के लिए आदेश, अधिनिर्णयधारी की प्रेरणा पर, उसे निष्पादन के लिए किसी सिविल न्यायालय को भेजकर इस प्रकार भी निष्पादित किया जा सकेगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो और सिविल न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति हो।

4.9. धारा 126(2) के अधीन किसी एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए मजिस्ट्रेट यह शर्त अधिरोपित कर सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके द्वारा संदाय के लिए आदिष्ट मासिक भत्ते की बकाया जमा करेगा और उसे मासानुमास भी जमा करता रहेगा। दावेदार मामले के अन्तिम परिणाम के पश्चात् रकम निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए धारा 126 का समुचित संशोधन करना चाहिए।

अध्याय 5

निष्कर्ष और सिफारिशें

5.1. रिपोर्ट के पूर्वोत्तर भाग में की गई चर्चा के प्रकाश में आयोग की यह राय है कि संहिता के अध्याय 9 में दी गई पत्नी, माता-पिता और संतान के भरणपोषण से संबंधित विधि को, समुचित संशोधन सम्मिलित करके, विधि को अद्यतन करने के लिए पुनरीक्षित करना अपेक्षित है। और इसे अधिक न्यायसंगत, अधिक सुसंगत, अधिक प्रयोजनपूर्ण और अधिक प्रभावी करना अपेक्षित है जिससे कि विधायन का प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इसमें नीचे दिए गए विस्तार तक और रीति में उपान्तरण अपेक्षित है :—

(1) धारा 125(1) में सम्मिलित की गई 500 रुपए की कानूनी अधिकतम सीमा को जो किसी मजिस्ट्रेट को पर्याप्त साधनों वाले किसी व्यक्ति से, धारा 125(1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में वर्णित प्रवर्ग में आने वाली अपनी पत्नी, संतान या माता-पिता का भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है, ऐसे भरणपोषण का दावा करने की हकदार पत्नी, संतान और माता-पिता के पक्ष में 500 रुपए से अनधिक की दर से भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता अधिनिर्णीत करने से प्रवारित करती है, हटा देना अपेक्षित है। 1955 से, जब उपरोक्त अंक सम्मिलित किया गया था मुद्रास्फीति और निर्वाह-व्यय में वृद्धि के कारण यह असुसंगत हो गई है और ऐसी कानूनी अधीकतम सीमा के परिणामस्वरूप अन्याय होता है तथा वह प्रयोजन विफल हो जाता है जिसके लिए यह उपबन्ध अधिनियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी कानूनी अधिकतम सीमा जिसे समय-समय पर विधि का संशोधन किए बिना अद्यतन नहीं किया जा सकता, असाध्य और अनावश्यक है। 500 रुपए की अधिकतम सीमा के प्रति निर्देश को हटाकर धारा 127 (1) का पारिणामिक संशोधन भी करना होगा (पैरा 3.4 देखें)।

(2) धारा 125(1) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाना चाहिए कि 'अपना भरणपोषण करने में असमर्थ' पद पत्नी की तत्समय वास्तविक पृथक् आय से, यदि कोई हो, के संबंध में है और नियोजन प्राप्त करके या भविष्य में स्वयं परिश्रम करके अपने लिए उपार्जन करने में समर्थ होने की पत्नी की संभावना या संभाव्यता के संबंध में नहीं (पैरा 3.6 देखें)।

(3) धारा 125 की उपधारा (1) एक स्पष्टीकरण जोड़कर या स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मासिक भत्ते की दरों का अवधारण करने में मजिस्ट्रेट खाद्य, आश्रयस्थान, वस्त्रों, संतान की शिक्षा के लिए आवश्यक व्यय को ही हिसाब में नहीं लेगा बल्कि ऐसी राशि को भी हिसाब में लेगा जो दुर्घटनाओं, बीमारी, शारीरिक निःशक्तता या किसी अन्य कारण से उद्भूत होने वाली भविष्यवर्ती आपदाओं की पूर्ति करने के लिए पृथक् रखने के लिए आवश्यक है (पैरा 3.7) देखें।

(4) धारा 125 की उपधारा (2) इस प्रकार संशोधित की जाए कि भरणपोषण के लिए आदेश भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते का दावा करने वाले आवेदन के फाइल करने की तारीख से प्रभावी हो और मजिस्ट्रेट को कोई विकल्प या विवेक इसे मासिक भत्ता अधिनिर्णीत करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश की तारीख से प्रभावी करने का न हो (पैरा 3.5 देखें)।

(5) एक वर्ष की समाप्ति पर भरणपोषण की रकम वसूल करने से पत्नी या किसी दावेदार को असमर्थ बनाने वाले धारा 125(3) के प्रथम परन्तुक को हटा देना चाहिए (पैरा 3.11 देखें)।

(6) आदेश पारित होने के पश्चात् पत्नी का भरणपोषण करने के लिए उस व्यक्ति की (जिसके विरुद्ध भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते के लिए आदेश का दावा किया जाता है) प्रस्थापना पर विचार करने से संबंधित धारा 125(3) के परन्तुक (2) को हटा देना चाहिए (पैरा 3.12 देखें)।

(7) भरणपोषण का दावा करने से किसी पत्नी को, यदि "जारता की दशा में रह रही है" वंचित करने वाली धारा 125 की उपधारा (4) और (5) को अन्य बातों के साथ हटा देना चाहिए क्योंकि इसका सहारा साधारणतया पत्नी को उलझन में डालने या तंग करने के लिए लिया जाता है (पैरा 3.8 देखें)।

(8) रकम का अवधारण करने में धारा 125 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट —

(क) न केवल उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के रूप में मासिक भत्ते के लिए आदेश चाहा गया है, वैयक्तिक आय ही नहीं बल्कि उसके अन्य संसाधनों को जैसे उसके कब्जे में संपत्ति, उसका संयुक्त कुटुम्ब संपत्तियों में हित, यदि कोई हो, और इस तथ्य को कि वह बाध्यता का निर्वहन ऐसी समग्र संपत्तियों से कर सकता है, हिसाब में ले सकेगा। (पैरा 3.10 देखें)।

(ख) पत्नी की स्वतंत्र आय को, यदि कोई हो, हिसाब में ले सकेगा। (पैरा 3.7 देखें)।

(9) भरणपोषण के लिए धारा 125 के अधीन आदेश पारित करने वाले मजिस्ट्रेट को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को हिसाब में लेते हुए उचित मामलों में छह मास की अवधि तक के लिए मासिक भत्ता अग्रिम रूप से जमा करने के लिए मासिक भत्ते के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को निर्देश देते हुए आदेश पारित करने के लिए सशक्त करना चाहिए। (पैरा 3.10 देखें)।

(10) धारा 125 के अधीन भरणपोषण के लिए आदेश पारित करने वाला मजिस्ट्रेट उसके द्वारा अवधारित मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति के नियोजक के विरुद्ध यह आदेश जारी करने के लिए सशक्त होगा जिसमें ऐसे नियोजक को निदेश होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के वेतन से उसके द्वारा अवधारित भरणपोषण की रकम के समतुल्य राशि की कटौती करे और उसे ऐसी कटौती से एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में मासानुमास जमा करे जब कभी पत्नी, संतान या माता-पिता को, जिनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है, रकम का सीधे नियमित रूप से संदाय करने में ऐसे व्यक्ति असफलता के कारण ऐसा करना उपयुक्त प्रतीत होता है (पैरा 3.10 देखें)।

(11) संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट मासिक भत्ते की रकम जिसके अन्तर्गत बकाया है उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, संपत्तियों पर भार होगी। (पैरा 3.16 देखें)।

(12) मासिक भत्ते के लिए आदेश समय-समय पर वास्तविक संदाय द्वारा या किसी ठहराव द्वारा जिसमें न्यायालय की आज्ञा से उसकी तुष्टि का यह अभिलेखन हो कि ठहराव या समझौता अच्छे प्रतिफल के लिए असली, स्वैच्छिक, विधिपूर्ण और उचित है।(पैरा 3.17) देखें।

(13) मजिस्ट्रेट द्वारा पारित भरणपोषण के लिए आदेश से व्यार्थत किसी व्यक्ति को सैशन न्यायालय में अपील का अधिकार होगा। किन्तु जब अपील भरणपोषण अधिनिर्णित करने वाले आदेश के विरुद्ध है तब अपील तब तक चलाने योग्य नहीं होगी जब तक कि अपीलार्थी याचिका के संस्थित किए जाने की तारीख से अपीलाधीन आदेश की तारीख तक भरणपोषण की बकाया की रकम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमा नहीं कर देता है और अपील के ज्ञापन के साथ इस प्रभाव का शपथपत्र पेश नहीं करता है कि ऐसी रकम जमा कर दी गई है और भावी रकम नियमित रूप से जमा की जाएगी। (पैरा 3.13 और 3.14 देखें)।

1—72 मिन, ऑफ, लॉ एण्ड जस्टिस/एनडी/90—25.1.91—300.

(14) एक अधिकारी, जिसे भरण पोषण परामर्शी के रूप में अभिहित किया जाएगा, भरण-पोषण का दावा करने के लिए पत्नी, संतान या माता या पिता के मामले का निःशुल्क प्रति निधित्व करने के लिए समाज कल्याण के उपाय के रूप में राज्य द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सम्बद्ध व्यक्ति को, यदि ऐसे वांछित हो, तो अपने चुनाव का ऐसे व्यक्ति के खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार होगा। (पैरा 3.15 देखें)।

(15) धारा 125 के अधीन भरणपोषण से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसी इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में दी गई है, संहिता के अध्याय 9 में सम्मिलित की जानी चाहिए।

5.2. आयोग को विश्वास है कि उपेक्षित महिलाओं, संतान और माता-पिता की पीड़ा और कष्ट में बहुत सीमा तक सुधार होगा और वे राहत की सांस लेंगे यदि और जब ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं और उन्हें कार्यरूप दिया जाता है और अपनी यह रिपोर्ट आशा के इस टिप्पण के साथ समाप्त करता है।

एम० पी० ठक्कर

अध्यक्ष,

वी० एस० रमा देवी,

सदस्य सचिव,

नई दिल्ली,

तारीख 19 अप्रैल, 1989

टिप्पण और संदर्भ

1. उपाबन्ध 3
2. भारतीय श्रम आंकड़े, 236 (1969)
3. 29 भारतीय श्रम जर्नल, 1771 (1988)
4. बी दास, "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित अन्तरिम भरण पोषण आदेश का प्रभाव" 93 दंड विधि जर्नल 71 (1987)
5. 1981, दंड विधि जर्नल 184 (कैंट)
6. **नानक चंद** बनाम चन्द्र किशोर, अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1969, दिल्ली 235
7. **मेजर जोगिंदर सिंह** बनाम बीबी **राज मोहिन्दर कौर,** अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1960 पंजाब 249
8. **भगवान दत्त** बनाम **कमला देवी** अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1975 उच्चतम न्यायालय 83

8क. **पी० टी० रामनकुट्टि अच्चन** बनाम **बल्याणीकुट्टि,** अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1971, केरल 22

9. **मालन** बनाम **बाबूराव** 1981 दंड विधि जर्नल 184 (कैंट),
   एजाज अहमद बनाम **शाहजहां बेगम** 1982, दंड विधि जर्नल, 1022 (इलाहाबाद)
   उदयवीर सिंह बनाम **विनोद कुमारी** 1985, दंड विधि जर्नल, 1923 (इलाहाबाद)
10. **सरस्वती** बनाम **माधवन** 1961 (2) दंड विधि जर्नल 642, 644 पर (केरल)
11. **अब्दुल मानक** बनाम **सलिमा** 1979 दंड विधि जर्नल 172, 174 और 175 पर (कैंट)
12. **विमल** बनाम **सुकुमार,** 1981 दंड विधि जर्नल 210, 214,215 (मुम्बई)
13. दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट।
14. उपाबन्ध 1 देखें।
15. **पद्मनाथन** बनाम **भार्गवी नरोजीनी,** 1981 दंड विधि जर्नल 826 (केरल)
16. **शाहजादी बेगम** बनाम **मुहम्मद अब्दुल,** 1981 दंड विधि जर्नल 1532 (आन्ध्र प्रदेश)
17. **पूर्ण बहादुर** बनाम **सांता विस्त,** 1984 दंड विधि जर्नल 1145 (सिक्किम)
18. **के० नारायण राव** बनाम **भाग्यलक्ष्मी,** 1984 दंड विधि जर्नल (कैंट)
19. **जूलियट बसन्त** बनाम **एन्टोमी मरीमुथु,** 1985 दंड विधि जर्नल 1613 (मद्रास)
20. **मुहम्मद शकील** बनाम **शाहाना प्रवीण,** 1987 दंड विधि जर्नल 1509 (दिल्ली)
21. **श्रवण कुंवर** बनाम **अंजनाबाई,** 1985 दंड विधि जर्नल 1213 (मुम्बई)
    एस० एस० मानेकम बनाम **अस्पता,** 1980 दंड विधि जर्नल 354 (मद्रास)
    कस्तुरी बनाम **रामस्वामी,** 1979 दंड विधि जर्नल 741 (मद्रास),
    विमला देवी बनाम **सेशन न्यायाधिश और अन्य,** 1981 दंड विधि जर्नल एन ओ सी 89 (इलाहाबाद)
22. अखिल भारतीय रिपोर्टर, 1986 उच्चतम न्यायालय 1436
23. ऊपर टिप्पण 4 देखें।

उपाबंध 1

टिप्पण : सं०=संतान; म० = मजिस्ट्रेट; से० न्या = सेशन न्यायालय; सभी प्रोद्धरण दंड विधि जर्नल के प्रति निर्देश से हैं।

वर्ष	पन्ना	दावेदार	पति का वेतन	अधिनिर्णीत रकम		
				म०	सेशन न्यायालय	उच्च न्यायालय
1981	674	पत्नी + सं०	—	150+150		
	690	पत्नी	—	50		
	493	सं०	—	150		
	754	पत्नी + सं०	—	150		
			—	100	—	40 (सं०) 100 (उच्चतम न्यायालय)
	826	पत्नी + सं०	472	50 सं०	50+50	50+50
	830	पत्नी + सं०	—	40+15	—	—
	789	पत्नी + सं०	—	150	—	—
	74	पत्नी	—	30	—	
	1355	पत्नी	—	60	—	—
	1340	पत्नी	—	—	—	150
	1532	पत्नी + सं०	600	75+30	—	75+30
1982	485	पत्नी	—	—	—	75
	491	पत्नी + सं०	—	20+10	—	—
	539		—	30	—	30
	1022	पत्नी + सं०	—	50+30	—	—
	1981	पत्नी	—	30 से बढ़ा कर		70
	1461	पत्नी	—	500	—	—
	1953	पत्नी	3 एकड़ + किरयाना दुकान	40 (पत्नी 2 4 रु० प्रतिदिन उपार्जन कर रही थी)		
	2033	पत्नी	—	75	—	—
	2365	पत्नी	—	300	—	—
1983						
1984	99	पत्नी	—	100	—	—
	1146	पत्नी	600	200	—	
	1297	पत्नी	—	100	75	—
	1522	पत्नी + सं०	—	100+25	—	—
	206	पत्नी	दिवालिया	75	—	—
	276	पत्नी + 3 सं०	3000 वस्त्र इंजीनियर (अभिकथित)	500	—	—

वर्ष	पन्ना	दावेदार	पति का वेतन	अधिनिर्णीत रकम		
				म०	सेशन न्यायालय	उच्च न्यायालय
1985	875	पत्नी	5000 लगभग	25	—	179.20
	1613	पत्नी	517	75	—	—
	1706	पत्नी + सं०	—	100+75	—	—
	1909	पत्नी	—	100	—	—
	1923	पत्नी	—	—	150	150
	1802	पत्नी + सं०	—	100+50	—	—
	1124	माता	—	70	—	—
	1213	पत्नी	—	50	—	—
1986	103	पत्नी	—	—	300	300
	556	पत्नी+ सं०	—	100	100	100+40
	692	पत्नी	—	50	—	96 (उच्चतम न्यायालय 127)
	1129	पत्नी + 2 सं०	600	200	रद्द	200
	1199	पत्नी + सं०	—	125+50	—	125+50
	1216		—	—	150	—
	1432	पत्नी	—	500	—	—
	1633	पत्नी	—	100	—	—
1987	399	पत्नी +सं०	—	300+200	—	—
	1278	पत्नी + सं०	—	—	200+100	—
	1509	पत्नी	900	300	—	300
	1653	पत्नी	—	—	200	—
	1952	पत्नी	—	150	150	—
	1779	पत्नी	—	100	—	—
	1657		—	80	—	—

उपाबंध 2

उत्तरदाताओं की सूची

न्यायाधीश

1. न्यायमूर्ति वी० के० महरोत्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, हिमाचल प्रदेश
2. न्यायमूर्ति एस० एस० गांगुली, कलकत्ता
3. न्यायमूर्ति श्रीनिवासन, मद्रास
4. न्यायमूर्ति रामलिंगम, मद्रास
5. न्यायमूर्ति एस० एस० ग्रेवाल, पंजाब और हरियाणा
6. न्यायमूर्ति भक्तवत्सलम, मद्रास
7. न्यायमूर्ति डेविड अनौस्वामी, मद्रास
8. न्यायमूर्ति जी० सी० मित्तल, पंजाब और हरियाणा
9. न्यायमूर्ति गोपाल राव एकबोट, आन्ध्र प्रदेश (सेवानिवृत्त)
10. न्यायमूर्ति डी० के० राजेपंडबडे, न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम वर्ग, अहमदपुर
11. एन० जी० पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगली
12. सुभाष कुलकर्णी, जिला और सेशन न्यायाधीश, नंदेड, महाराष्ट्र
13. प्रतिभा उपासनी, न्यायाधीश, मुम्बई नगर सिविल न्यायालय
14. एस० के० मिश्र, जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल
15. राधे श्याम अग्रवाल, जिला न्यायाधीश, मेरठ

अधिवक्ता

1. बी० वी० नागरत्न, बंगलौर
2. अशोक डी० शाह, अहमदाबाद
3. जीवन के० मित्तल, दिल्ली
4. अशोक भोगानी, मुम्बई
5. रमेश नायक, मुम्बई
6. गीता लूथरा और पिंकी आनन्द, दिल्ली
7. रूमा पाल, कलकत्ता
8. पी० के० घोष, कलकत्ता
9. कृष्णकान्त बखारिया, अहमदाबाद
10. सीता वैद्यलिंगम, दिल्ली
11. एस० के० जैन, खुर्जा
12. खुरशीद अली, हैदराबाद
13. कुसुम मंतुर, धनबाद
14. वी० कुलकर्णी, धनबाद
15. रोनास्वामी, दिल्ली
16. एन० नौसुल्ला शरीफ, बंगलौर
17. रमा अरोरा, दिल्ली
18. मृदुला राय, दिल्ली
19. डा० कजली धर, कलकत्ता
20. मंजूश्री दत्त, कलकत्ता
21. सिप्रा मजूमदार, कलकत्ता
22. अजया मित्रा, कलकत्ता
23. श्यामला पप्पू, दिल्ली
24. डा० असती गोस्वामी, कलकत्ता

विधि अध्यापक/विधिवेत्ता

1. के० पी० एस० महलवार, रोहतक
2. पी० सी० जुनेजा, रोहतक
3. पी० जी० गोकुल, आचार्य, टी० एम० सी० विधि महाविद्यालय, ठाणे
4. कमलिणी भामशाह, कुलपति, एस० एन० डी०टी० महिला महाविद्यालय, मुम्बई
5. पी० एम० बक्शी, दिल्ली

राज्य विधि विभाग/सलाहकार बोर्ड

1. आर० के० जैन, सचिव, चंडीगढ़, समाज कल्याण
2. एस० एन० कृष्णदत्तिन, सदस्य सचिव, पांडिचेरी विधिक सहायता और सलाह बोर्ड
3. तमिलनाडु समाज कल्याण बोर्ड
4. जम्मू-कश्मीर राज्य विधिक सहायता बोर्ड और सलाह बोर्ड
5. केरल राज्य विधिक और सलाह बोर्ड
6. उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड
7. पश्चिमी बंगाल समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
8. मिजोरम सरकार, विधि विभाग
9. अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
10. जिला विधिक सहायता और सलाह समिति, रत्नागिरी
11. आर० के० महाजन, सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश
12. कर्नाटक समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
13. आशा दास, संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय
14. हरियाणा विधिक सेवा और सलाहकार समिति (पी० दीवान के माध्यम से)
15. गुजरात राज्य विधिक और सलाहकार बोर्ड
16. मद्रास जिला विधिक और सलाह समिति
17. विधिक प्रतिनिधि सह अभियोजन निदेशक, चंडीगढ़
18. पश्चिमी बंगाल सरकार, न्यायिक विभाग

संगठन

1. सेवा गिल्ड, दिल्ली
2. अस्तित्व, बल्साद
3. अखिल भारतीय क्रिश्चियन महिला परिषद्
4. स्त्री सेवा मंदिर, मद्रास
5. महिला हक संरक्षण समिति, नासिक
6. राजकुमारी एसिन महिला शिक्षा केन्द्र
7. बालक श्रम चिंता केन्द्र
8. सूरत जिला विधिज्ञ संगम
9. संयुक्त महिला कार्यक्रम, दिल्ली
10. गुजरात राज्य विधिक और सलाह बोर्ड
11. आई० एस० एस० टी०, दिल्ली
12. जेवियर संचार संस्थान, मुम्बई
13. भारतीय ग्रामीण महिला संघ
14. आन्ध्र प्रदेश मुस्लिम अधिवक्ता मंच
15. महिला उत्पीड़न विरोधी मंच, मुम्बई
16. श्री मुक्ति मंच, पुणे
17. महिला अध्ययन केन्द्र, जयपुर
18. शैला लोहिया मानवलोक, अंबाजोगाई
19. महिला विकास अध्ययन केन्द्र, दिल्ली
20. लक्ष्यद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड
21. महिला दक्षता समिति, दिल्ली
22. विकास गृह, अहमदाबाद

23. कोइम्बतूर विधिज्ञ संगम
24. अहमदाबाद महिला कार्रवाई समूह, आवाज
25. तमिलनाडु विधिज्ञ परिषद्
26. मद्रास विधिज्ञ संगम
27. महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, दादर विधिज्ञ संगम
28. राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलौर
29. सामाजिक कार्रवाई महिला संगम, मद्रास
30. गुजरात राज्य अपराध निवारण न्यास, अहमदाबाद

साधारण जनता

1. शिव दयाल, देवगांव
2. एच० सी० कुकरेती, देहरादून
3. अरविन्द प्रकाश रस्तोगी, बादायूं
4. राजकुमार, देहरादून
5. रघुनन्दन, दिल्ली
6. एन० के० शर्मा, कोटा
7. डा० रामतीर्थ अग्रवाल, दिल्ली
8. जगदीश राय, मुम्बई
9. ओमपाल आर्य, दिल्ली
10. सुषमा रानी, मेरठ
11. डा० एफ० मेहता, राजकोट
12. एच० एन० बहेरा, कटक
13. एल० सी० धमानी, नागपुर
14. कर्मचंद सक्सेना, आन्ध्र प्रदेश
15. श्रीमती बिल्ली मौर्य, नवसारी
16. श्रीमती दिगम्बर राणा, देहरादून
17. श्री एस० एच० गुप्त, मुम्बई
18. श्री डी० पी० शर्मा, मेरठ
19. श्री आर० एस० तिवारी, मुम्बई

उपाबंध 3

पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश

125. **पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश**— (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति —

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए कुल मिलाकर पांच सौ रुपए से अनधिक की ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परन्तु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए —

(क) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

(ख) "पत्नी" के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

(2) ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरणपोषण के लिए आवेदन की तारीख से, संदेय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण है के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्गृहीत करने के लिए उपबन्धित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए पूरे भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए, कारावास का दंडादेश दे सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक इस रकम को उद्गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है:

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इंकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है ।

स्पष्टीकरण—यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा ।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भत्ता प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह प्रर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा यदि वे परस्पारिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा वे पारस्पारिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

126. **प्रक्रिया**—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है :—

(क) जहां वह है, अथवा

(ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, अथवा

(ग) जहां उसने अन्तिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज सन्तान की माता के साथ निवास किया है।

(2) ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, अथवा जब उसकी वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन-मामलों के लिए विहित है :

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के अन्दर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अन्तर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबन्धन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे, अपास्त किया जा सकता है।

(3) धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्यायसंगत है।

127. **भत्ते में परिवर्तन**—(1) धारा 125 के अधीन भत्ता पाने वाले या, यथास्थिति, अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता को मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यदि वह भत्ते में वृद्धि करता है तो वह कुल मिलाकर पांच सौ रुपए मासिक की दर से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता हो कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा।

(3) जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि —

(क) उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात् पुनः विवाह-कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा;

(ख) उस स्त्री के पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात् वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह-विच्छेद पर देय थी तो वह ऐसे आदेश को —

(i) उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में उस अवधि की, यदि कोई हो, जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरणपोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा;

(ग) उस स्त्री ने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह-विच्छेद के पश्चात् अपने भरणपोषण के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा।

(4) किसी भरणपोषण या दहेज की, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 125 के अधीन कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है।

128. **भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन**—भरणपोषण के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसे भत्ता दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में, जहां वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में और देय भत्ते के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है।

मप्रभासमुना—वि1— 72 एम ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस/एन०डी०/90—28-1-91—300.

PLD. 92. CXXXII (H)
300-1990 (DSK IV)

Price : (Inland) *Rs.* 78.00 (Foreign) £ 9.09 *or* $ 28 08 *Cents.*

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक-421 006 द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स दिल्ली,-110 054 द्वारा प्रकाशित।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NASIK-422 006
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110 054
1991